



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 02]	नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 2, 2019/ पौष 12, 1940
No. 02]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 2, 2019/PAUSH A 12, 1940

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2018

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी विनियम, 2018)

फा. सं. अनुमोदन ब्यूरो(एबी)/अभातशिप/आरईजी/2018.—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 10 और धारा 11 के साथ पठित धारा 23 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा फाईल संख्या 37-3/विधि/अभातशिप/2016 दिनांक 30 नवम्बर, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थानों के लिए अनुमोदन की मंजूरी) विनियम, 2016 एवं दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 को राजपत्र में अधिसूचित इसके प्रथम संशोधन का अधिक्रमण करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप) निम्नलिखित विनियम बनाती है :-

प्रस्तावना :-

गुणवत्ता अनुरक्षित करने के प्रयोजनार्थ तकनीकी संस्थाओं को एक संगठित तरीके से विनियमित करने/उन्हें सुविधा प्रदान करने, ताकि वे अभातशिप के आदर्शों के अनुरूप मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकें और तकनीकी संस्थाओं को उच्च गुणवत्ता वाले संस्थान बनने हेतु सक्षम वातावरण का सृजन करने के लिए, अभातशिप, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 10 और धारा 11 के साथ पठित धारा 23 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1

संक्षिप्त नाम, प्रयोज्यता और प्रारंभ :

- 1.1 इन विनियमों का नाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी) विनियम, 2018 है।
- 1.2 ये विनियम निम्नलिखित के लिए प्रस्तुत किए आवेदनों पर लागू होंगे :-

क. डिप्लोमा/पोस्ट डिप्लोमा प्रमाणपत्र/स्नातकपूर्व डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिग्री के स्तर पर तकनीकी कार्यक्रम प्रदान करने के लिए नई तकनीकी संस्थाएं स्थापित करने ;

- ख. स्थान/स्थिति में परिवर्तन ;
- ग. महिला संस्था का सह-शिक्षण संस्था में परिवर्तन तथा इसके विपर्यय ;
- घ. डिप्लोमा संस्थाओं का डिग्री संस्थाओं में परिवर्तन तथा इसके विपर्यय ;
- ङ. विद्यमान संस्थाओं में नए कार्यक्रम (मों)/स्तर (रों) को आरम्भ करना ;
- च. विद्यमान संस्थाओं में अनुमोदन का विस्तार ;
- छ. पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष (षौ) में रोक के उपरांत अनुमोदन जारी करना/प्रवेश-क्षमता को बहाल करना ;
- ज. अनुमोदन में विस्तार (ईओए) को आगे बढ़ाना ;
- झ. प्रवेश-क्षमता/अतिरिक्त पाठ्यक्रम (मों) में वृद्धि ;
- ञ. एकीकृत/दोहरी डिग्री पाठ्यक्रम आरम्भ करना ;
- ट. डिग्री भेषजी संस्थाओं में डिप्लोमा आरंभ करना तथा इसके विपर्यय ;
- ठ. एक ही न्यास/सोसायटी/कंपनी द्वारा एक ही परिसर में चलाई जा रही संस्थाओं को आमेलित करना ;
- ड. संस्था को बंद करना ;
- ढ. पीजीडीएम पाठ्यक्रम संचालित कर रही प्रबंधन संस्थाओं को एमबीए पाठ्यक्रम संस्थाओं में परिवर्तित करना ;
- ण. द्वितीय पाली के पाठ्यक्रमों को प्रथम पाली के पाठ्यक्रमों में परिवर्तित करना ;
- त. एमबीए कार्यक्रमों को बंद करना तथा एमसीए पाठ्यक्रम आरंभ करना तथा इसके विपर्यय ;
- थ. प्रबंधन में अध्येतावृत्ति कार्यक्रम आरंभ करना/जारी रखना ;
- द. "विदेशी राष्ट्रिक/ओसीआई/पीआईओ/खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय कामगारों के बच्चों हेतु अधिसंख्य सीटों को आरंभ करना/जारी रखना ;
- ध. अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए अधिसंख्य सीटें आरंभ करना/जारी रखना ;
- न. पाठ्यक्रमों के नाम में परिवर्तन/पाठ्यक्रम (मों) को आमेलित करना/प्रवेश-क्षमता में कमी/कार्यक्रम (मों) और/अथवा पाठ्यक्रम (मों) को बंद करना/पार्षिक प्रवेश का आमेलन/स्वतंत्र प्रभाग का इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी के द्वितीय वर्ष/नियमित एमसीए के प्रथम वर्ष में आमेलन
- प. संस्था अथवा संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/बोर्ड के नाम में परिवर्तन ;
- फ. बैंक के नाम में परिवर्तन ;
- ब. न्यास/सोसायटी/कम्पनी के नाम में परिवर्तन ;
- भ. तकनीकी शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारतीय एवं विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के बीच सहयोग एवं टिविनिंग कार्यक्रम
- म. व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम आरंभ करना।

1.3 ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2

परिभाषाएं :

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

- 2.1 "शैक्षणिक वर्ष" से अभिप्रेत है संबंधित संबद्ध विश्वविद्यालय/बोर्ड/तकनीकी संस्था का शैक्षणिक वर्ष।
- 2.2 "अधिनियम" से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52)।
- 2.3 "अनुबद्ध संकाय" से अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार विषय विशेषज्ञ अभिप्रेत है।

- 2.4 "शपथ-पत्र" तथ्यों का एक लिखित शपथ लिया गया वक्तव्य है जो विधि द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अभिसाक्षी को दिलाई गई शपथ अथवा प्रतिज्ञान के अधीन उसके द्वारा स्वैच्छिक रूप से दिया गया है।
- 2.5 "अभातशिप के वेब-पोर्टल" से अभिप्रेत है यूआरएल www.aicte-india.org पर परिषद् द्वारा होस्ट की गई वेबसाईट।
- 2.6 "अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका (एपीएच)" से अभिप्रेत है अभातशिप द्वारा प्रतिवर्ष संस्थानों द्वारा विभिन्न अनुमोदनों हेतु जमा किए जाने वाले आवेदनों पर प्रक्रमण हेतु मानक निर्धारित करने के लिए प्रकाशित की जाने वाली अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका।
- 2.7 "आवेदक" से अभिप्रेत है ऐसा आवेदक जो इन विनियमों के अंतर्गत किसी भी प्रकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए परिषद् को आवेदन करता है।
- 2.8 "अनुमोदित संस्था" से अभिप्रेत है परिषद् द्वारा अनुमोदित तकनीकी संस्था।
- 2.9 "अनुमोदित प्रवेश क्षमता" से अभातशिप द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन के अनुसार पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या अभिप्रेत है।
- 2.10 "स्वायत्त संस्था" से ऐसी संस्था अभिप्रेत है जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वायत्ता प्रदान की गई हो तथा संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/बोर्ड के परिनियमों द्वारा इस रूप में अभिहित किया गया हो।
- 2.11 "अनुमोदन में विस्तार (ईओए) में रोक (ब्रेक)" से संस्थाओं द्वारा पिछले वर्ष प्राप्त किए गए अनुमोदन को रोकने से अभिप्रेत है।
- 2.12 "निर्माण-प्रचालन-अंतरण (बीओटी)" से ऐसी परियोजना का वित्त-पोषण अभिप्रेत है जिसमें कोई निजी सत्ता रियायत संविदा में वर्णित सुविधा को वित्त-पोषित, डिजाईन, निर्मित और प्रचालित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र से रियायत प्राप्त करती है।
- 2.13 "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है अभातशिप अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उप-धारा (4)(क) के अंतर्गत यथावर्णित परिषद् का अध्यक्ष।
- 2.14 "सह-शिक्षा संस्थान" से पुरुषों, महिलाओं एवं विपरीतलिंगी विद्यार्थियों को प्रवेश देने वाले संस्थान अभिप्रेत है।
- 2.15 "आयोग" से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अन्तर्गत गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अभिप्रेत है।
- 2.16 "कम्पनी" से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन स्थापित की गयी कम्पनी अभिप्रेत है।
- 2.17 "दाखिले के लिए सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है ऐसा संगठन जिसके पास संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र में तकनीकी संस्थाओं में दाखिले के लिए विधिक रूप से अभिहित प्राधिकारी, क्षमता और शक्ति है।
- 2.18 "अनुपालन रिपोर्ट" से अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में विनिर्दिष्ट की गई अपेक्षाओं को पूरा करने के संबंध में विशेषज्ञ समिति द्वारा पाई गई/कारण बताओ नोटिस में जारी की गई कमियों को पूरा करने के संबंध में दी गई अनुपालन रिपोर्ट में तकनीकी संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट अभिप्रेत है।
- 2.19 "घटक विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के एक भाग के रूप में कोई संस्था/विभाग/महाविद्यालय/स्कूल।
- 2.20 "परिषद्" से अभातशिप अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है।
- 2.21 "पाठ्यक्रम" से किसी कार्यक्रम में शिक्षण की शाखा अभिप्रेत है, जैसेकि सिविल इंजीनियरी, यांत्रिक (मैकेनिकल) इंजीनियरी इत्यादि।

2.22

“प्रभाग” से अभिप्रेत है ;

- क. इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी/होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा/स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों, एमसीए/पीजीसीएम/पीजीडीएम/एमबीए में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के कार्यक्रम में अधिकतम साठ (60) सीटों का बैच, जिसमें अधिसंख्य सीटें, यदि कोई हों, शामिल नहीं हैं ;
- ख. डिप्लोमा/स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम में साठ (60) सीटों का एक बैच तथा भेषजी कार्यक्रम में स्नातक पूर्व में अधिकतम सौ (100) सीटों का बैच, जिसमें अधिसंख्य सीटें, यदि कोई हों, शामिल नहीं हैं ;
- ग. वास्तुकला/योजना कार्यक्रम के डिप्लोमा/स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों में अधिकतम चालीस (40) सीटों का बैच, जिसमें अधिसंख्य सीटें, यदि कोई हों, शामिल नहीं हैं ;
- घ. अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प कार्यक्रम के डिप्लोमा/स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों में अधिकतम तीस (30) सीटों का बैच, जिसमें अधिसंख्य सीटें, यदि कोई हों, शामिल नहीं हैं ;
- ङ. डिजाईन कार्यक्रम के डिप्लोमा/स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों में अधिकतम तीस (30) सीटों का बैच, जिसमें अधिसंख्य सीटें, यदि कोई हों, शामिल नहीं हैं ;
- च. इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी/योजना/अनुप्रयुक्त शिल्प एवं कला/होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अधिकतम तीस (30) सीटों का बैच, जिसमें अधिसंख्य सीटें, यदि कोई हों, शामिल नहीं हैं ;
- छ. वास्तुकला कार्यक्रम के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अधिकतम बीस (20) सीटों का बैच, जिसमें अधिसंख्य सीटें, यदि कोई हों, शामिल नहीं हैं ;
- ज. डिजाईन कार्यक्रम के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अधिकतम पन्द्रह (15) सीटों का बैच, जिसमें अधिसंख्य सीटें, यदि कोई हों, शामिल नहीं हैं ;
- झ. भेषजी कार्यक्रम के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अधिकतम पन्द्रह (15) सीटों, भेषजी-डी (फार्मा-डी) में अधिकतम 30(तीस) सीटों का फार्मा-डी (पोस्ट बैकालॉरिएट) में अधिकतम 10 (दस) सीटों का एक बैच, जिसमें अधिसंख्य सीटें, यदि कोई हों, शामिल नहीं हैं ;
- ञ. इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी/होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी/एमसीए कार्यक्रम एवं एमबीए कार्यक्रमों के एकीकृत/दोहरी डिग्री पाठ्यक्रम में अधिकतम साठ (60) सीटों का एक समूह (बैच) जिसमें अधिसंख्य सीटें, यदि कोई हों, शामिल नहीं हैं ;
- ट. योजना कार्यक्रमों के एकीकृत पाठ्यक्रम में अधिकतम चालीस (40) सीटों का बैच, जिसमें अधिसंख्य सीटें, यदि कोई हों, शामिल नहीं हैं ;
- ठ. प्रबंधन में अध्येतावृत्ति (फैलोशिप) कार्यक्रम में प्रतिवर्ष अधिकतम बीस (20) सीटें।

2.23

“अनुमोदन में विस्तार (ईओए)” से अभातशिप द्वारा शैक्षणिक वर्ष में संस्थानों को तकनीकी कार्यक्रम चलाने के लिए दिया गया अनुमोदन में विस्तार अभिप्रेत है।

“विस्तारित किया गया ईओए (अनुमोदन में विस्तार)” से अभातशिप द्वारा एक और शैक्षणिक वर्ष में संस्थानों को तकनीकी कार्यक्रम चलाने के लिए दिया गया अनुमोदन में विस्तार अभिप्रेत है।

2.24

“विशेषज्ञ दौरा समिति (ईवीसी)” से अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में दी गई संरचना के अनुसार आवेदक संस्थाओं की भौतिक एवं ढांचागत सुविधाओं को सत्यापित करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा गठित की गई विशेषज्ञ दौरा समिति अभिप्रेत है।

2.25

“कार्यकारिणी समिति” से अभिप्रेत है परिषद् द्वारा अभातशिप अधिनियम की धारा 12 के अधीन गठित समिति।

2.26

“प्रथम पाली” से प्रथम समायावधि (प्रातः 8 से सायं 3 बजे तक) में चलाए जाने वाले शैक्षणिक कार्यकलाप अभिप्रेत हैं, जहाँ दो पालियों का संचालन विद्यमान हैं।

- 2.27 "विदेशी राष्ट्रिक" से अभिप्रेत है भारत के अतिरिक्त अन्य देशों के नागरिक, जो भारतीय मूल के नहीं हैं, जैसाकि ओसीआई/पीआईओ के अधीन परिभाषित है।
- 2.28 "सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्था" से ऐसी तकनीकी संस्था अभिप्रेत है, जो अपने आवर्ती व्यय के 50 प्रतिशत अथवा अधिक भाग की पूर्ति सरकार अथवा सरकारी संगठनों से प्राप्त अनुदान से करती है।
- 2.29 "सरकारी संस्था" से अभिप्रेत है पूर्णतय: सरकार द्वारा स्थापित और/अथवा अनुरक्षित तकनीकी संस्था।
- 2.30 "संस्था का प्रमुख" से अभिप्रेत है किसी विश्वविद्यालय अथवा मानित विश्वविद्यालय के मामले में कुलपति, निर्दिष्ट तकनीकी का प्राचार्य/निदेशक/संस्था के कार्यकारी संस्था प्रमुख के रूप में कोई अन्य पदधारी।
- 2.31 "मानित विश्वविद्यालय संस्था" से अभिप्रेत है उच्च शिक्षा संस्थान जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा (3) के अधीन आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा "मानित विश्वविद्यालय संस्थान" घोषित किया गया हो।
- 2.32 "पार्षिक प्रवेश" से अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में दिए गए अनुसार विद्यार्थियों को डिप्लोमा/स्नातकपूर्व डिग्री/एमसीए कार्यक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रवेश अभिप्रेत है।
- 2.33 "स्तर" से डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा प्रमाणपत्र, स्नातकपूर्व डिग्री तथा स्नातकोत्तर डिग्री तथा स्नातकोत्तर डिप्लोमा अभिप्रेत है।
- 2.34 "अल्पसंख्यक संस्था" से ऐसा महाविद्यालय अथवा शिक्षा संस्था अभिप्रेत है, जिसे अल्पसंख्यक अथवा अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित किया गया हो, प्रशासित किया जाता हो तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अल्पसंख्यक संस्था के रूप में मान्यता प्रदान की गई हो।
- 2.35 "राष्ट्रीय प्रत्यायन मण्डल (एनबीए)" से अभातशिप द्वारा सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन स्थापित किया गया एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय प्रत्यायन मण्डल अभिप्रेत है।
- 2.36 "अंशकालिक कार्यक्रमों" से अभिप्रेत है सायं 5:30 से रात्रि 9:30 तक (सप्ताह में छ: दिन) संचालित किये जाने वाले क्रियाकलाप, जो कि ऐसे स्थानों पर चलाए जाते हैं, जहां पर पहले से ही नियमित/सामान्य पाली चलाई जा रही हो तथा यह केवल कार्यरत व्यावसायियों अथवा कम से कम दो वर्ष का कार्य अनुभव रखने वाले व्यावसायियों के लिए ही होगी। पाठ्यक्रम की अवधि नियमित पाठ्यक्रम की अवधि से एक/दो सत्रों तक अधिक होगी।
- 2.37 "निजी विश्वविद्यालय" से किसी प्रायोजित निकाय द्वारा जैसेकि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी अथवा उसी समय में राज्य में लागू अन्य संबंधित कानून के अंतर्गत स्थापित सोसायटी अथवा सार्वजनिक न्यास अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन पंजीकृत कंपनी अभिप्रेत है।
- 2.38 "कार्यक्रम" से अभिप्रेत है तकनीकी शिक्षा का क्षेत्र, अर्थात इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी, भेषजी, एमसीए, वास्तुकला एवं नगर आयोजना, प्रबंधन (पीजीसीएम/पीजीडीएम/एमबीए), होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी, अनुप्रयुक्त कला, शिल्प तथा डिजाईन अथवा ऐसे अन्य कार्यक्रम और विषय-क्षेत्र जो अधिनियम द्वारा अधिसूचित किए जाएं।
- 2.39 "सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)" से एक सरकारी अथवा स्वायत्त इकाई तथा दूसरी तरफ निजी सैक्टर इकाई के बीच अनुबंध एवं विशेष सुविधा आधारित समझौतों में सहभागिता अभिप्रेत है।
- 2.40 "क्षेत्रीय समिति (आरसी)" से अभिप्रेत है अभातशिप अधिनियम 1987 की धारा 14 के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में स्थापित क्षेत्रीय समिति।
- 2.41 संस्थान की "प्रवेश-क्षमता के लिए पूर्व स्थिति की प्राप्ति (रिस्टोरेशन)" से, किसी भी दण्डात्मक कार्रवाई से पूर्व संस्थान की अनुमोदित प्रवेशक्षमता के अनुसार ही उसकी विद्यमान प्रवेश-क्षमता को बहाल करना अभिप्रेत है।
- 2.42 "द्वितीय पाली" से (दोपहर 12 बजे से सायं 7:00 बजे तक की) वह द्वितीय समयावधि, जिसमें सामान्यतः तकनीकी संस्था के शैक्षणिक क्रियाकलाप संचालित किए जाते हैं अभिप्रेत है।

- 2.43 "स्व-वित्तपोषित संस्था" से अभिप्रेत है किसी सोसाईटी/न्यास/कंपनी द्वारा शुरू की गई कोई संस्था, जो अपने आवर्ती व्यय की पूर्ति के लिए केन्द्रीय और/अथवा राज्य सरकार और/अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से अनुदान/निधि प्राप्त नहीं करती है।
- 2.44 "प्रथम पाली" से उस समयावधि (प्रातः 9 से सायं 5 बजे तक) में चलाए जाने वाले कार्यकलाप अभिप्रेत है, जहाँ दो पालियाँ हैं।
- 2.45 "सोसाईटी" से अभिप्रेत है सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाईटी।
- 2.46 "एकल संस्थान" से ऐसी संस्थाएं अभिप्रेत हैं, जो किसी विश्वविद्यालय/बोर्ड से संबद्ध नहीं हैं परंतु वे नियमित पाठ्यक्रमों को संचालित करते हुए शिक्षा प्रदान कर रही हैं जिनके फलस्वरूप प्रबंध और संबद्ध क्षेत्रों, कम्प्यूटर अनुप्रयोग, डिजाईन, अभिनवता, उद्यमवृत्ति और यात्रा एवं पर्यटन में डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा प्रमाणपत्र, स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र, और स्नातकोत्तर (डिप्लोमा स्तर प्रदान किया जाता है।
- 2.47 "स्थाई अपीलीय समिति (एसएसी)" से तकनीकी संस्थाओं की अपील पर विचार करने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में दिए गए अनुसार अध्यक्ष, अभातशिप द्वारा गठित की गई स्थाई अपीलीय समिति अभिप्रेत है।
- 2.48 "स्थाई शिकायत संवीक्षा समिति (एससीएससी)" से तकनीकी संस्थाओं के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करने के लिए अध्यक्ष, अभातशिप द्वारा गठित की गई समिति अभिप्रेत है।
- 2.49 "स्थाई सुनवाई समिति (एसएचसी)" से ईवीसी रिपोर्ट तथा कारण बताओ नोटिस के सन्दर्भ में प्राप्त उत्तरों की समीक्षा तथा इसकी सिफारिशों को अनुमोदन हेतु कार्यकारिणी समिति (ईसी) को अग्रेषित करने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में दिए गए अनुसार अध्यक्ष, अभातशिप द्वारा गठित समिति अभिप्रेत है।
- 2.50 "राज्य स्तरीय शुल्क समिति" से तकनीकी संस्थाओं द्वारा प्रभारित किए गए शुल्क के विनियमन हेतु सम्बन्धित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा अधिसूचित समिति अभिप्रेत है।
- 2.51 "अधिसंख्य सीटें" जिनमें टीएफडब्ल्यू ओसीआई/पीआईओ/विदेशी राष्ट्रिक/खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय कामगारों के बच्चों के लिए, पार्ष्विक प्रवेश, पीडब्ल्यूडी तथा जम्मू एवं कश्मीर के लिए पीएमएसएसएस, के लिए समय-समय पर अधिसूचित सीटें शामिल होंगी जो "अनुमोदित प्रवेश-क्षमता" की सीमा से अधिक होंगी।
- 2.52 "तकनीकी संस्था" से अभिप्रेत इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, भेषजी, वास्तुकला और आयोजना, अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प, प्रबन्धन, होटल प्रबन्धन एवं खान-पान प्रौद्योगिकी, एमसीए, प्रबंधन तथा अभातशिप अधिनियम, 1987 द्वारा अधिसूचित किए गए ऐसे ही क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण तथा शोध के क्षेत्र में कार्यक्रम/पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त तथा स्व-वित्त-पोषित न्यास/सोसाईटी/कम्पनी संस्था।
- 2.53 "न्यास" से अभिप्रेत समय-समय पर संशोधित किए गए भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 अथवा अन्य संगत अधिनियम के अंतर्गत अध्यक्ष/प्रधान/सचिव द्वारा पंजीकृत न्यास अभिप्रेत है।
- 2.54 "विश्वविद्यालय विभाग" से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित विभाग अभिप्रेत है।
- 2.55 "विश्वविद्यालय" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खण्ड(च) में परिभाषित विश्वविद्यालय अभिप्रेत है।
- 2.56 इसमें प्रयुक्त अन्य सभी शब्दों एवं अभिव्यक्तियों, जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है, परन्तु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) में परिभाषित किया गया है, का वही तात्पर्य होगा, जो उन्हें क्रमशः उक्त अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है।

3

अनुमोदन प्रदान करने की प्रासंगिकता

3.1 इन विनियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्

- क. नई तकनीकी संस्थाएं, चाहे वे सरकारी/सरकार द्वारा सहायताप्राप्त अथवा स्व-वित्तपोषित हों, केवल परिषद् का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही आरंभ की जाएंगी।

- ख. विद्यमान सरकारी/सरकार द्वारा सहायताप्राप्त/वित्त-पोषित संस्थाएं केवल परिषद् का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही या तो विद्यमान पाठ्यक्रम/कार्यक्रम संचालित करेंगी/उनकी प्रवेश क्षमता में वृद्धि/कटौती करेंगी अथवा किसी भी स्तर पर नए कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करेंगी।
- ग. किसी भी स्थिति में, किसी तकनीकी संस्था को अभातशिप अथवा संबंधित संबद्ध विश्वविद्यालय/बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के बिना काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने तथा छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- घ. संबद्ध विश्वविद्यालय/बोर्ड ऐसी तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश दिए गए छात्रों को नामांकित नहीं करेगा, जिनके पास परिषद् का अपेक्षित पूर्व अनुमोदन नहीं होगा।
- ड. केन्द्रीय/राज्य सरकार/संबंधित संघ राज्यक्षेत्र छात्रों को किसी ऐसी तकनीकी संस्था के किसी कार्यक्रम में प्रवेश नहीं देंगे जिनके पास परिषद् का अपेक्षित पूर्व अनुमोदन नहीं होगा।

3.2 पिछले कुछ वर्षों के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में रिक्त सीटों की विशाल संख्या तथा संभावित भावी मांग के ध्यान में रखते हुए, परिषद् तकनीकी कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय संदर्श योजना प्रदान करने के लिए अभातशिप द्वारा गठित समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए ही नई/विद्यमान संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान करेगी।

4

अनुमोदन के लिए सामान्य शर्तें

- 4.1 क. आवेदक तकनीकी संस्थान का नाम इस प्रकार से नहीं रखेगा कि तकनीकी संस्था के नाम का संक्षिप्त रूप आईआईएम/आईआईटी/आईआईएस/एनआईटी/एआईसीटीई/यूजीसी/एमएचआरटी/जीआईआई बनता हो। आवेदक तकनीकी संस्था के नाम में कहीं भी सरकार/भारत/भारतीय/राष्ट्रीय/अखिल भारतीय/अखिल भारतीय परिषद्/आयोग अथवा संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 के अंतर्गत यथा प्रतिषिद्ध अन्य नामों का प्रयोग नहीं करेगी। परंतु यह कि ऊपर उल्लिखित प्रतिबंध लागू नहीं होंगे, यदि तकनीकी संस्था को भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है अथवा इसका नाम भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- ख. आवेदक/संस्थाएं राज्य के भीतर विद्यमान संस्थाओं के नामों का प्रयोग नहीं करेंगी।
- 4.2 मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निदेशों जैसे "शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े जिलों/वामपंथी (एलडब्ल्यूई) प्रभावित" जिलों में तकनीकी संस्था स्थापित करने के लिए "पॉलिटेक्निक संबंधी उप-अभियान" की योजना, सभी वित्तीय संव्यवहारों के लिए डिजिटल भुगतान, राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार (एनएडी), भारत में अध्ययन तथा कोई अन्य स्कीम का अनुपालन किया जाएगा, जैसाकि अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट किया गया है।
- 4.3 अभातशिप दूरस्थ रीति से संचालित किए गए तकनीकी शिक्षा में कार्यक्रम(मों)/पाठ्यक्रम(मों) को मान्यता नहीं देती है, सिवाए प्रबंधन, एमसीए तथा यात्रा और पर्यटन कार्यक्रमों के, जिन्हें अभातशिप का स्पष्ट अनुमोदन प्रदान किया गया हों।
- 4.4 परिषद् अंशकालिक/द्वितीय पाली के पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति नहीं देती है।
- 4.5 शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किसी तकनीकी संस्था में 60 प्रतिशत अर्हक पाठ्यक्रम आगामी 4 वर्ष की अवधि में प्रत्यायित किए जाएंगे, अन्यथा परिषद् द्वारा ईओए जारी नहीं किया जाएगा।
- 4.6 निरंतर अत्यंत अल्प प्रवेश के पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाली संस्थाओं के संबंध में परिषद् के अनुमोदन के अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में यथानिर्दिष्ट उपयुक्त कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।
- 4.7 प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शैय्यधारिता के रूप में कोई विदेशी साम्या रखने वाली कंपनी को तकनीकी संस्था स्थापित करने के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 4.8 अधिसंख्यक सीटें
- क. अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं और विश्वविद्यालय विभागों में विदेशी राष्ट्रिक/भारतीय प्रवासी नागरिक (ओसीआई)/भारतीय मूल के व्यक्ति (पीओआई) छात्रों/खाड़ी देशों में भारतीय कर्मचारों के बालकों को प्रवेश देने के लिए प्रति पाठ्यक्रम 'अनुमोदित प्रवेश-क्षमता' के अतिरिक्त पन्द्रह प्रतिशत (15 प्रतिशत)

अधिसंख्यक सीटें अनुमोदित की जाएंगी। इन 15 प्रतिशत सीटों का एक-तिहाई (1/3) खाड़ी देशों में भारतीय कर्मकारों के बालकों के लिए आरक्षित होगा।

किसी निश्चित पाठ्यक्रम में खाड़ी देशों में भारतीय कर्मकारों के बालकों के लिए आरक्षित 1/3 सीटों में से रिक्त सीटें ओसीआई/ पीओआई/विदेशी राष्ट्रिकों के लिए आरक्षित दो-तिहाई सीटों को और इसके विपर्यय लौटाई जाएगी। इसके अलावा संबंधित राज्य सरकार/राज्य क्षेत्र के प्रवेश के अंतिम चक्र के उपरांत विदेशी राष्ट्रिकों/भारत के प्रवासी नागरिकों (ओसीआई)/भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीओआई)/खाड़ी देशों में भारतीय कर्मकारों के बालकों में रिक्त रही कोई सीट एनआरआई के लिए अभातशिप के अनुमोदन तथा अनुमोदन प्रक्रिया में यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षित मानदण्डों की पूर्ति के अध्यक्षीन एनआरआई सीटों से भरी जा सकेगी।

इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र के प्रवेश के अंतिम चक्र के उपरांत 'अनुमोदित प्रवेश-क्षमता' में रिक्त रही कोई सीट उक्त सीटों के लिए अभातशिप के अनुमोदन तथा अनुमोदन प्रक्रिया में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित मानदण्डों की पूर्ति के अध्यक्षीन एनआरआई/विदेशी राष्ट्रिकों/भारत के प्रवासी नागरिकों (ओसीआई)/भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीओआई)/खाड़ी देशों में भारतीय कर्मकारों के बालकों से भरी जा सकेगी।

- ख. परिषद् एनआरआई/ओसीआई/पीआईओ/एफएन/खाड़ी देशों में भारतीय कर्मकारों के बालकों की सीटों को प्रारंभ करने/जारी रखने की सहमति केवल नियमित पाली के पाठ्यक्रमों के लिए ही प्रदान करेगी।
- ग. सभी पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों में शिक्षण-शुल्क अधित्याग स्कीम के अंतर्गत अधिसंख्यक सीटों का अनिवार्य उपबंध सभी तकनीकी संस्थाओं के लिए लागू होगा, जैसा अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट किया गया है।

4.9 डिप्लोमा/स्नातकपूर्व डिग्री/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पार्ष्विक प्रवेश के अंतर्गत दाखिले।

- क. द्वितीय वर्ष डिप्लोमा पाठ्यक्रम में पार्ष्विक प्रवेश 'अनुमोदित प्रवेश-क्षमता' के अधिकतम 10 प्रतिशत तक अनुमेय होगा, जो 'अनुमोदित प्रवेश-क्षमता' की अधिसंख्य सीटों और अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में यथा निर्दिष्ट प्रथम वर्ष की भरी न गई रिक्तियों के अतिरिक्त होगा जैसाकि अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट किया गया है।
- ख. इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी/भेषजी/एमसीए पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष डिग्री पाठ्यक्रम(मों) में पार्ष्विक प्रवेश 'अनुमोदित प्रवेश-क्षमता' के अधिकतम 10 प्रतिशत तक अनुमेय होगा, जो 'अनुमोदित प्रवेश-क्षमता' की अधिसंख्य सीटों और अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में यथाविनिर्दिष्ट प्रथम वर्ष की भरी न गई रिक्तियों के अतिरिक्त होगा जैसाकि अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट किया गया है।
- ग. कोई विदेशी राष्ट्रिक जिसने किसी विदेशी संस्था (जिसके पास भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा जारी समतुल्यता प्रमाण-पत्र है) से डिप्लोमा अथवा किसी भारतीय संस्था से डिप्लोमा प्राप्त किया है, भी द्वितीय वर्ष डिग्री पाठ्यक्रम(मों) में पार्ष्विक प्रवेश के लिए पात्र होगा। ऐसे पाठ्यक्रम(मों) में अधिसंख्य सीटों के लिए अनुमोदन रखने वाली संस्थाएं केवल मानदण्डों के अनुसार ही विदेशी राष्ट्रिकों को प्रवेश देने के लिए पात्र होगी, संस्था इसके लिए अभातशिप के वेब-पोर्टल पर आवेदन करेंगी। तथापि, अधिसंख्य सीटों और पार्ष्विक प्रवेश के अंतर्गत प्रवेश दिए गए कुल विदेशी राष्ट्रिकों की कुल संख्या किसी शैक्षणिक वर्ष में 'अनुमोदित प्रवेश-क्षमता' के 15 प्रतिशत के अधिक नहीं होगी।

घ. परिषद् इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी/एमसीए पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष में पार्ष्विक प्रवेश पृथक प्रभाग को प्रारंभ करने अथवा जारी रखने की अनुमति नहीं देगी।

4.10 नई/विद्यमान संस्थाओं के लिए दिशा-निर्देश :

- क. सभी तकनीकी संस्थाएं अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में यथा निर्दिष्ट प्रासंगिक अपेक्षित मानदण्डों की पूर्ति करेंगी।
- ख. संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 8 अथवा कंपनियों, संघों अथवा व्यष्टियों के निकायों को अथवा उनके द्वारा संपत्ति के अंतरण सेस संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार भूमि/भवन के स्वामित्व अथवा रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख/अप्रतिसंहरणीय उपहार विलेख

(रजिस्ट्रकृत)/अप्रतिसंहरणीय सरकारी/निजी पट्टा विलेख (रजिस्ट्रीकृत) के रूप में आवेदक के नाम में संपत्ति के अंतरण को दर्शाने वाले दस्तावेज (न्यूनतम 30 वर्ष की अवधि के लिए जिसमें आवेदन को प्रस्तुत करने के समय पर न्यूनतम 25 वर्ष शेष पट्टा हो)।

इसके अतिरिक्त यह भी कि, विद्यमान संस्थान की प्रवर्तक सोसाइटी न्यास/कम्पनी के लिए यह खुला होगा कि वह आवश्यक भूमि संबंधी विद्यमान मानकों में आवश्यक भूमि की सीमा को कम करने के कारण शेष बची अतिरिक्त भूमि में अन्य शैक्षिक पाठ्यक्रम/संस्थान (तकनीकी/गैर तकनीकी) चला सकती है। तथापि, संस्था द्वारा इस शेष बची भूमि का उपयोग संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा सोसाइटी/न्यास/कंपनी को दिए गए "उपयोग-प्रमाण पत्र" में दिए गए उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसे पाठ्यक्रम/संस्थान के लिए अलग से अपनी सुविधाएं हों और उसके लिए पहले से अनुमोदित संस्थान की अनिवार्य सुविधाओं जैसे कि कक्षा के कमरे, प्रयोगशाला इत्यादि को सांझा नहीं किया जाएगा। तथापि, सामान्य सुविधाएं जैसे कि कैंटीन, सभागार, खेल मैदान, वाहन खड़े करने का स्थान (पार्किंग) इत्यादि का सभी विद्यार्थियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए सांझा प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते कि वे सभी कार्यक्रमों के सभी छात्रों की अपेक्षाओं की पूर्ति करती हैं।

- ग. नए तकनीकी शिक्षा संस्थान की प्रवर्तक सोसाइटी/न्यास कम्पनी संस्थान स्थापित करने हेतु अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में विनिर्दिष्ट समय-समय पर संशोधित किए गए अनुसार यथालागू अपेक्षित निर्मित क्षेत्र का निर्माण करेगी।
- घ. प्रवेश-क्षमता में कटौती से गैर-शून्य प्रवेश क्षमता दूसरी पाली के पाठ्यक्रमों को बंद करने के लिए संबद्ध विश्वविद्यालय/बोर्ड/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र से अनापत्ति प्रमाण-पत्र अपेक्षित नहीं होगा।
- ड. पीजीसीएम/पीजीडीएम पाठ्यक्रमों को बंद करने के लिए संबद्ध विश्वविद्यालय/बोर्ड/राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लागू नहीं है।
- च. परिषद् द्वारा यथानिर्दिष्ट किसी नियमित/प्रथम पाली के पाठ्यक्रमों में **डिवीजन आकार से कम** 'अनुमोदित प्रवेश-क्षमता' रखने वाली संस्था पूर्ण डिवीजन आकार की प्रवेश-क्षमता के लिए कोई कमी नहीं के अध्यक्षीन संबद्ध विश्वविद्यालय/बोर्ड/राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र से एनबीए प्रत्यायन/अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बिना वेब-पोर्टल पर आवेदन कर सकेगी तथा तदनुसार संकाय: छात्र अनुपात अनुरक्षित करेगी। तथापि, यह दार्ढिक कार्यवाही के अंतर्गत संस्थाओं के मामले में लागू नहीं होगा।
- छ. संस्थाएं किसी डिवीजन के भीतर किसी नियमित/प्रथम पाली के पाठ्यक्रमों में संबद्ध विश्वविद्यालय/बोर्ड/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना **प्रवेश क्षमता में कटौती** के लिए स्वयं वेब-पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगी तथा संकाय: छात्र अनुपात अनुरक्षित करेगी, प्रत्यावर्तन की अनुमति एनबीए के बिना किसी डिवीजन के भीतर दी जाएगी।
- ज. 'अधिकतम अनुमत प्रवेश-क्षमता' से कम कुल 'अनुमोदित क्षमता' रखने वाली संस्थाओं/एनबीए प्रत्यायन के लिए आवेदन हेतु अपात्र संस्थाओं को किसी नई तकनीकी संस्था की भांति ही प्रत्येक कार्यक्रम में अधिकतम अनुमत प्रवेश-क्षमता तक (एमबीए में समस्त विशेषज्ञताओं पर विचार करते हुए) वृद्धि की अनुमति प्रदान की जाएगी (एबीए प्रत्यायन के बिना) जैसाकि अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट किया गया है, जो अभातशिप वेब-पोर्टल पर स्व-घोषणा के आधार पर 'कोई कमी नहीं' के अध्यक्षीन होगा।
अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में यथानिर्दिष्ट मानदण्डों की पूर्ति का सत्यापन करने के लिए छात्रों के प्रथम बैच के उत्तीर्ण होने से पूर्व किसी समय विशेषज्ञ दौरा समिति की विजिट संचालित की जाएगी।
- झ. एनबीए द्वारा पाठ्यक्रमों के प्रत्यायन/यूजीसी अनुमोदित स्वायत्तता के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाली श्रेष्ठ कार्य-निष्पादन वाली संस्थाओं को अभातशिप द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्रदान की जाएगी तथा उन पर विस्तारित ईओए के लिए अनुमोदन प्रदान करने हेतु विचार किया जाएगा जैसाकि अनुमोदन प्रक्रिया में निर्दिष्ट किया गया है। विस्तारित ईओए के लिए अनुमोदित संस्थाओं को केवल विस्तारित वर्षों के लिए अनुमोदन के विस्तार (ईओए) हेतु टीईआर प्रभारों का भुगतान करने की छूट प्रदान की जाएगी। तथापि, ऐसी संस्थाओं के लिए ईओए के लिए आवेदन प्रस्तुत करना, समस्त आंकड़ों को सम्यक रूप से भरना और अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में यथानिर्दिष्ट सभी सन्नियमों और मानकों का अनुरक्षण करना अपेक्षित होगा।

- ज. संस्था को आवेदन के प्रक्रमण के लिए यथालागू स्वतः प्रकटन के आधार पर 'कोई कमी नहीं' मानदण्ड की पूर्ति करने के लिए संवीक्षा/पुनः संवीक्षा समिति के समक्ष कमियों, यदि कोई है, का अनुपालन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

4.11 विश्वविद्यालयों के लिए दिशा-निर्देश

- क. केन्द्रीय, राज्य और निजी विश्वविद्यालय, अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में यथाविनिर्दिष्ट अवसंरचना और अन्य अपेक्षाओं को उपलब्ध कराते हुए अनुमादित के लिए आवेदन कर सकेंगे।
मानित-विश्वविद्यालय संस्थाएं इन विनियमों के खंड 1.2 के अंतर्गत परिषद् का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेंगी।
अपेक्षाएं, पात्रता और प्रक्रिया अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी।
इसके अलावा, मानित-विश्वविद्यालय संस्था को यूजीसी विनियमों के अनुसार मानदण्डों की पूर्ति भी करनी होगी।
- ख. तकनीकी पाठ्यक्रम/कार्यक्रम प्रदान करने वाली मानित-विश्वविद्यालय संस्थाएं परिषद् का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश नहीं देंगी।
- ग. अभातशिप से प्रथम बार अनुमोदन प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय अपने सभी विद्यमान तकनीकी कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों के लिए एक नई तकनीकी संस्था के रूप में आवेदन करेंगे। विविध परिसरों/बाह्य परिसरों वाली मानित विश्वविद्यालय संस्था/संघटक महाविद्यालय अनुमोदन के लिए पृथक आवेदन करेंगे।

5

आवेदकों को प्रस्तुत किया जाना

- 5.1 इन विनियमों 1.2, क, ख, ग, घ, ङ, ट, ठ, ड, त, प, फ, ब और भ के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान करने के लिए आवेदन निम्नलिखित में से किसी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।
- क. न्यास/सोसाइटी/कंपनी के मामले में अध्यक्ष/सचिव ;
- ख. केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अथवा उनके द्वारा रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी/न्यास के मामले में संबंधित केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा प्राधिकृत अधिकारी।
- ग. यथास्थिति सरकारी-निजी भागीदारी अथवा उनके द्वारा बनाई गई निर्माण-प्रचालन अंतरण (बीओटी) रीति के अंतर्गत न्यास/सोसाइटी/कंपनी/केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा प्राधिकृत अधिकारी।
- 5.2 इन विनियमों 1.2 च, छ, न, ज, ट, ण, थ, द, ध, न और य के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान करने के लिए आवेदन निम्नलिखित में से किसी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा:
- तकनीकी संस्था का प्राचार्य/निदेशक अथवा संस्था प्रमुख अथवा ऐसी संस्था के प्रवर्तक द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत संस्था का अधिकारी अथवा न्यास/सासायटी/कंपनी के मामले में अध्यक्ष/सचिव अथवा मानित विश्वविद्यालय संस्था का कुलपति/पंजीयक।
- 5.3 परिषद् समय-समय पर अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका प्रकाशित करेगी जिसमें आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों, संप्रेषित किए जाने वाली तकनीकी शिक्षा विनियम (टीईआर) प्रभारों, सन्नियमों और मानकों, उन अपेक्षाओं और प्रक्रियाओं के विवरण होंगे जिनके माध्यम से नई/विद्यमान संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान करने के लिए आवेदनों का प्रक्रमण किया जाएगा।
- 5.4 क. नई संस्था स्थापित करने के लिए आवेदक अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए विशिष्ट यूजर आईडी प्राप्त करेगा।
आवेदक/विद्यमान संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे इन विनियमों के खंड 1.2 में सूचीबद्ध मामलों के लिए वेब-पोर्टल पर अभातशिप के भुगतान गेटवे के माध्यम से अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट किए गए विहित टीईआर प्रभारों को संप्रेषित करके उन्हें आबंटित विशिष्ट यूजर आईडी का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें, जिसके न किए जाने पर आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ख. केवल उन्हीं आवेदनों पर प्रक्रमण के लिए विचार किया जाएगा जो भुगतान के साथ अंतिम तारीख के

भीतर प्रस्तुत किए गए होंगे।

- ग. वेब-पोर्टल आवेदनों के लिए कमी संबंधी रिपोर्ट सृजित करने की अनुमति देता है।
- घ. आवेदन वेब-पोर्टल पर आवेदन को अंतिम रूप से प्रस्तुत किए जाने तक उसके आंकड़ों को संशोधित कर सकता है।
- ङ. यदि आवेदक/संस्था ने गलती से आवेदन प्रस्तुत कर दिया है, तो उसका प्रक्रमण अनुमादन प्रक्रिया पुस्तिका में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
- च. आवेदक को दस्तावेज वेब-पोर्टल पर उपलोग करने होंगे/संवीक्षा/पुनःसंवीक्षा समिति को प्रस्तुत करने होंगे, जो लागू हो, जैसाकि अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट किया गया है।
- छ. आवेदक को "अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में दिए गए प्रपत्र में, 100/-रु० के गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी अथवा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत रूप से शपथ ग्रहण किया गया यह शपथ-पत्र जमा करना होगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया हो कि आवेदन में दी गई जानकारी सत्य है और यह कि यदि किसी भी समय में यह पाया जाता है कि जानकारी अथवा जानकारी के किसी भाग को छिपाया गया है और/अथवा उसका गलत निर्वचन किया गया है और/अथवा आवेदन में दी गई जानकारी असत्य है, तो परिषद् कोई भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी, जिसमें अनुमोदन का वापस लिया जाना/अनुमोदन प्रदान करने हेतु विचार न किया जाना और/अथवा ऐसी अन्य विधिक कार्रवाई, जो यह उपयुक्त समझे, करना शामिल है।
- ज. आवेदन के अस्वीकृत होने की स्थिति में लागू टीईआर प्रभार वापस कर दिए जाएंगे, जैसा अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट किया गया है।

6

आवेदनों के प्रक्रमण के लिए प्रक्रिया

- 6.1 प्राप्त हुए आवेदनों का प्रक्रमण विद्यमान केन्द्रीय राज्य और स्थानीय विधियों के अतिरिक्त अनुमादेन प्रक्रिया पुस्तिका में विनिर्धारित सन्नियों और मानकों के अनुसार किया जाएगा जैसा परिषद् द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया है।
- 6.2 नई संस्था की स्थापना के लिए
 - क. राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र तथा संबद्ध विश्वविद्यालय/बोर्ड आवेदन प्रस्तुत करने की यथाअधिसूचित अंतिम तारीख से एक सप्ताह के अपश्चात् संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को इन विनियमों के खंड 1.2 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर अपनी राय अग्रेषित करेगा।
राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र/संबद्ध विश्वविद्यालय/बोर्ड से आवेदन पर राय प्राप्त न होने पर परिषद् उसका आगे प्रक्रमण प्रारंभ करेगी।
 - ख. इन विनियमों के खंड 1.2 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का प्रक्रमण आशय-पत्र (एलओआई) जारी करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से गठित संवीक्षा समिति/पुनःसंवीक्षा समिति द्वारा किया जाएगा तथा आवेदक समिति के समक्ष स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करेगी। आवेदक को परामर्श दिया जाता है कि वह संवीक्षा कार्यक्रम का पालन करें तथा अनुपस्थित न रहे।
आवेदक, यदि वह स्वयं वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में संस्था को प्रारंभ करने का इच्छुक है, इस आशय का एक संकल्प संवीक्षा/पुनः संवीक्षा समिति को प्रस्तुत करेगा।
 - ग. संवीक्षा/पुनः संवीक्षा समिति की सिफारिशें अनुशांसा के लिए क्षेत्रीय समिति के समक्ष रखी जाएगी तथा उन्हें अनुमोदन अथवा अन्यथा के लिए कार्यकारिणी समिति के समक्ष भी रखा जाएगा।
 - घ. नई तकनीकी संस्थाओं के मामले में परिषद् यदि उचित समझे, निश्चित शैक्षणिक वर्ष के लिए आशय-पत्र (एलओआई) जारी करने के लिए अनुमादन प्रदान करेगी तथा यह तीन शैक्षणिक वर्षों के लिए वैध होगा।
वैधता की अवधि के भीतर, अपेक्षाओं के अनुसार अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना के उपरांत आवेदक वर्ष में किसी भी समय अनुमोदन पत्र के लिए अभातशिप वेब-पोर्टल पर आवेदन करेगा। वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में ही अनुमादन पत्र (एलओ) प्राप्त करने की इच्छा इशाने वाले आवेदक के मामले में, उसका आगे

प्रक्रमण विशेषज्ञ दौरा समिति द्वारा किया जाएगा।

अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में यथाउल्लिखित संरचना के अनुसार क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा गठित विशेषज्ञ दौरा समिति संस्था की अवसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता की भौतिक रूप से सत्यापन करेगी।

वैधता की समाप्ति पर, जारी किया गया आशय-पत्र (एलओआई) रद्द हो जाएगा तथा आवेदक आशय-पत्र (एलओआई) जारी करने के लिए तथा आवेदन करेगा।

ड. विशेषज्ञ दौरा समिति की सिफारिश अनुशंसा के लिए क्षेत्रीय समिति के समक्ष रखी जाएगी तथा इसे अनुमोदन अथवा अन्यथा के लिए आगे कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखा जाएगा।

च. क्षेत्रीय समिति की अनुशंसाओं को कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखने के लिए अभातशिप के अनुमोदन ब्यूरो को अग्रेषित करते समय संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी यह सत्यापित करेगा कि इन विनियमों तथा अनुमोदन प्रक्रिया के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं और मापदण्डों का अनुपालन संवीक्षा समिति, पुनः संवीक्षा समिति (यदि लागू हो), विशेषज्ञ दौरा समिति और क्षेत्रीय समिति द्वारा कर लिया गया है।

अभातशिप का अनुमोदन ब्यूरो यह सत्यापित करेगा कि इन विनियमों तथा अनुमोदन प्रक्रिया के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं और मापदण्डों का अनुपालन संवीक्षा समिति, पुनः संवीक्षा समिति (यदि लागू हो), विशेषज्ञ दौरा समिति और क्षेत्रीय समिति द्वारा कर लिया गया है।

छ. कार्यकारिणी समिति का निर्णय आशय-पत्र (एलओआई)/अनुमोदन पत्र (एलओए) अथवा आवेदन को अस्वीकृत करने के लिए विशिष्ट कारणों के साथ अस्वीकृति पत्र (एलओआर) के रूप में वेब-पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

ज. नई तकनीकी संस्थाएं प्रारंभ करने के वाले आवेदकों (सरकारी/सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं को छोड़कर), जिनके आवेदन कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदन पत्र (एलओए) के लिए अनुशंसित कर दिए गए हैं, को सुरक्षा निक्षेप जमा करने के लिए सूचित किया जाएगा।

अन्य विनियामक निकायों द्वारा अनुमोदित संस्थाओं, जो अनुमोदन के लिए परिषद् को पहली बार आवेदन कर रही है तथा 10 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है, को प्रतिभूति जमा के भुगतान से छूट प्रदान की जाएगी।

आवेदक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित किए जाने की तारीख से 7 दित के भीतर एक शपथ-पत्र के साथ प्रतिभूति जमा के भुगतान का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, अन्यथा कैलेंडर वर्ष की 15 मई तक प्रतिभूति जमा के मूल्य के 10 प्रतिशत की शास्ति अधिशेषित की जाएगी, जिसके उपरांत अनुमोदन वापस ले लिया जाएगा।

झ. तकनीकी संस्था द्वारा अभातशिप के पास जमा कराई गई ऑनलाइन प्रतिभूति जमा की राशि को दस वर्ष की अवधि के पश्चात् अथवा पाठ्यक्रम/संस्था को बंद किए जाने के मामले में वापस लिए जाने की अनुमति होगी बशर्ते कि प्रसंगिक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं। प्रतिभूति जमा पर उद्भूत ब्याज परिषद् को क्रेडिट किया जाएगा तथा उसका उपयोग अभाशिप द्वारा संकाय के लिए गुणवत्ता संवर्धन कार्यक्रम तथा छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए किया जाएगा। तथापि, सन्नियमों, शर्तों और अपेक्षाओं के उल्लंघन और/अथवा संस्था द्वारा गैर-निष्पादन और/अथवा संस्था के विरुद्ध शिकायत के मामले में प्रतिभूति जमा की अवधि को मामला-दर-मामला आधार पर यथानिर्णित अवधि-तक आगे बढ़ाया जा सकेगा और/अथवा जब्त किया जा सकेगा।

ञ. नई तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन-पत्र, यदि जारी किया गया है, की वैधता अनुमोदन-पत्र के जारी किए जाने की तारीख से दो शैक्षणिक वर्षों के लिए केवल संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करने और वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश के लिए राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र की अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए होगी।

सभी आवेदक जिन्हें नई तकनीकी संस्था आरंभ करने के लिए एलओए जारी किए गए हैं, छात्रों के प्रवेश पर विचार किए बिना, आगामी शैक्षणिक वर्ष के बाद से अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में यथाविनिर्दिष्ट अनुमोदन के विस्तार के लिए अभातशिप वेब-पोर्टल पर आवेदन करेंगे। तथापि, ऐसी संस्थाओं को, जो विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा गैर-संबद्धता अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र की अपेक्षाओं की पूर्ति न

करने के कारण वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में छात्रों को प्रवेश देने में असफल रहती हैं, टीईआर प्रभागों के भुगतान से छूट प्रदान की जाएगी।

वैधता की समाप्ति पर, जारी एलओआई रद्द हो जाएगा तथा आवेदक आशय-पत्र पुनः जारी करने के लिए नया आवेदन करेगा।

- ट. नई संस्थाएं, जिन्हें अनुमोदन-पत्र प्रदान किया गया है तथा विद्यमान संस्थाएं जिन्हें नए पाठ्यक्रम, प्रभाग, कार्यक्रम आरंभ करने, प्रवेश-क्षमता में परिवर्तन करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है, यथास्थिति, परिषद् की नीति के अनुसार संकाय और प्रचार्य/निदेशक की नियुक्ति का अनुपालन करेंगी।

अल्पसंख्यक संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य संस्थाएं संकाय/ प्रचार्य/निदेशक तथा अन्य तकनीकी कर्मचारियों और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति कड़ाई से विशेष रूप से चयन प्रक्रियाओं के और प्रवरण समितियों के मामले में संबद्ध विश्वविद्यालय/बोर्ड की पद्धतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार करेंगे।

कर्मचारियों की इन नियुक्तियों के बारे में जानकारी विनिर्दिष्ट प्रपत्र में अभातशिप के वेब-पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

- ठ. अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में यथाविनिर्दिष्ट मानदण्डों की पूर्ति का सत्यापन करने के लिए छात्रों के प्रथम बैच के उत्तीर्ण होने से पूर्व किसी भी समय विशेषज्ञ दौरा समिति की विजिट संचालित की जाएगी।

6.3 विद्यमान संस्थाओं के लिए

- क. इन विनियमों के खंड 1.2 च और ध के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए आवेदनों के लिए प्रक्रमण स्व-प्रकटन पर आधारित है। परिषद् अपेक्षित अनुमोदन केवल यह पुष्टि करने के उपरांत ही प्रदान करेगा कि आवेदक ने अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में विनिर्दिष्ट सभी सन्नियमों और मानकों की पूर्ति कर ली है। परिषद् के पास निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित है तथा यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो वह अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में यथा विनिर्दिष्ट डांडिक कार्यवाही आरंभ करेगी।

- ख. इन विनियमों के खंड 1.2 ज, झ, ञ, ड, ढ, त, थ, न, प, फ, ब और म के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदनों का प्रक्रमण आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर संवीक्षा/पुनः संवीक्षा समिति द्वारा किया जाएगा।

इन विनियमों के खंड 1.2 छ, ट, ण और द के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदनों का प्रक्रमण आवेदक संस्था में सुविधाओं की उपलब्धता का सत्यापन करने के लिए विशेषज्ञ दौरा समिति द्वारा किया जाएगा।

इन विनियमों के 1.2 ख, ग, घ, ङ, ढ और भ के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए आवेदनों का प्रक्रमण आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर संवीक्षा/पुनः संवीक्षा समिति द्वारा किया जाएगा। यदि दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो उनका आगे प्रक्रमण आवेदक संस्था में सुविधाओं की उपलब्धता का सत्यापन करने के लिए विशेषज्ञ दौरा समिति द्वारा किया जाएगा।

- ग. कार्यक्रम(मों)/पाठ्यक्रम(मों) को बंद करने के लिए आवेदक कम-से-कम कैलेंडर वर्ष के 31 दिसम्बर से पूर्व प्रासंगिक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।

ऐसी विद्यमान संस्थाओं के आवेदन के मामले में जिन्होंने संस्था को बंद करने के लिए आवेदन किया है और यदि ऐसे आवेदनों को कतिपय कमियों के कारण परिषद् द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, ऐसी संस्था को उस वर्ष के लिए शून्य प्रवेश-क्षमता के साथ अनुमोदन का विस्तार (ईओए) प्रदान किया जाएगा। ऐसी संस्थाएं समस्त छात्रों के उत्तीर्ण हो जाने अथवा निकटवर्ती अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं में उनका पुनर्वितरण कर दिए जाने के उपरांत सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करेंगी तथा संस्था को अधिकारिक रूप से बंद करने का प्रस्ताव करेंगी।

संस्था को बंद करने के लिए आवेदन संस्थान द्वारा संचालित किए गए संबंधित कार्यक्रम की अवधि के लिए वैध होगा जिसके भीतर संस्था अपेक्षित अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगी। अन्यथा अभातशिप संबद्ध विश्वविद्यालय/बोर्ड और राज्य सरकार/संघराज्य क्षेत्र को सूचित करते हुए संस्था को बंद कर देगी और इसके बारे में एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगी।

- घ. न्यास/सोसाइटी/कंपनी के नाम में परिवर्तन जिसमें शिक्षा के समान साझे उद्देश्यों को रखने वाले दो

अथवा अधिक न्यासों/सोसाइटी/कंपनियों आदि का विलयन भी शामिल है, की अनुमति अधिनियमों में विनिर्धारित संबंधित विधियों के अनुसार दी जाएगी।

कोई न्यास/सोसाइटी अपनी आस्तियों को धारित करने के लिए नई कंपनी का सृजन भी कर सकेगी और आस्तियों का अंतरण पूर्ण हो जाने के उपरंत न्यास/सोसाइटी को विघटित किया जा सकेगा तथा स्वामित्व कंपनी को अंतरित किया जा सकेगा। ऐसी व्यवहार्यता अधिकारिता और संदर्भ पर निर्भर करते हुए भिन्न-भिन्न हो सकेगी।

ड. विद्यमान संस्थाओं के मामले में, यदि ईवीसी संचालित की गई है अथवा कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है, तो उसे यथालागू स्थायी सुनवाई समिति (एसएचसी) के समक्ष रखा जाएगा और उसका प्रक्रमण अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। यदि संस्था कार्यकारिणी समिति के निर्णय से व्यथित है, तो संस्था को अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार एक बार परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा।

6.4 संवीक्षा/पुनः संवीक्षा/विशेषज्ञ दौरा समिति की रिपोर्ट की अपलोडिंग संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की जाएगी।

6.5 यदि संवीक्षा/पुनः संवीक्षा/विशेष दौरा समिति का कोई सदस्य समिति की बैठक में भग लेने में असमर्थ अथवा वह इससे इंकार करता है अथवा निःशक्त है, तो क्षेत्रीय अधिकारी सदस्य-सचिव अभातशिप के पूर्व अथवा कार्यान्तर अनुमोदन द्वारा विशेषज्ञों के अनुमोदित पैनल से स्वतः ही किसी अन्य सदस्य को चुनने का विकल्प होगा।

6.6 मानित विश्वविद्यालय संस्था

क. परिषद् विश्वविद्यालयों जिसमें यूजीसी द्वारा यथाअधिसूचित श्रेणी 1 और 2 के अंतर्गत आने वाली मानित विश्वविद्यालय संस्थाएं भी शामिल हैं, द्वारा प्रदान किए जाने वाले तकनीकी कार्यक्रम(मों)/पाठ्यक्रम(मों) का अनुमोदन करेगी। ऐसी मानित - विश्वविद्यालय संस्थाएं अभातशिप द्वारा समय-समय पर यथानिर्दिष्ट सन्नियमों और मानकों का अनुपालन करेंगी तथा इस आशय का एक शपथ-पत्र अभातशिप और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा।

यूजीसी द्वारा यथाअधिसूचित श्रेणी 3 के अंतर्गत आने वाली मानित विश्वविद्यालय संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन का प्रक्रमण इन विनियमों के खंड 6.2/6.3 (यथालागू) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

ख. राज्य विश्वविद्यालयों/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/मानित विश्वविद्यालय संस्था (सरकारी) को प्रतिभूति जमा का भुगतान करना अपेक्षित नहीं है।

मानित विश्वविद्यालय संस्था (निजी)/निजी विश्वविद्यालय जो यूजीसी के साथ 10 से अधिक वर्षों तक अस्तित्व में हैं, को प्रतिभूति जमा के भुगतान से छूट दी गई है।

ऐसे विश्वविद्यालयों जिन्हें तकनीकी संस्था के रूप में अभातशिप से पूर्व में अनुमोदन प्रदान किया गया है और उन्होंने प्रतिभूति जमा सृजित की है तथा परिमक्वता की अवधि के उपरंत इसे जारी कर दिया गया है, के लिए प्रतिभूति जमा का भुगतान करना अपेक्षित नहीं है, अन्यथा विश्वविद्यालय को 10 वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति जमा का भुगतान करना होगा, जो लागू हो।

6.7 व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम

व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों को आरंभ करने के लिए आवेदनों का प्रक्रमण अभातशिप अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट प्रक्रिया तथा एनएसक्यूएफ विनियमों और स्वयं में समय-समय पर यथाअधिसूचित अन्य सभी सन्नियमों और मानकों के अनुसार किया जाएगा।

6.8 इन विनियमों के 6.3 के अंतर्गत आवेदनों का प्रक्रमण अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। अनुमोदित प्रवेश-क्षमता के साथ सभी संस्थाओं की समेकित सूची अनुमोदन ब्यूरो द्वारा तकनीकी संस्थाओं के लिए यथालागू अनुमोदन विस्तार प्रदान करने के लिए कार्यकारिणी समिति/परिषद् के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी ताकि वे तकनीकी कार्यक्रम(मों) और पाठ्यक्रम(मों) का संचालन जारी रख सकें। कार्यकारिणी समिति द्वारा लिए गए निर्णय का अनुसमर्थन परिषद् द्वारा किया जाएगा।

इसे वेब-पोर्टल पर अधिसूचित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, संस्था लॉगइन के माध्यम से 'अनुमोदित प्रवेश-क्षमता' के साथ अनुमोदन के विस्तार का पत्र डाउनलोड करेगी।

समस्त आदेश कैलेंडर वर्ष की 30 अप्रैल तक अपलोड कर दिए जाएंगे तथा विस्तृत स्पष्टीकारक आदेश (प्रवेश-क्षमता में कटौती, प्रवेश नहीं के मामले में) कैलेंडर वर्ष की 15 मई तक वेब-पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे।

6.9 **परिषद् किसी संस्था को कोई सशर्त अनुमोदन प्रदान नहीं करेगी।**

6.10 तकनीकी शिक्षा निदेशालय/राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र/संबद्ध विश्वविद्यालय/बोर्ड उनकी अधिकारिता के अंतर्गत संस्थाओं के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश-क्षमता को उनके लॉगइन के माध्यम में वेब-पोर्टल से डाउनलोड करेंगे।

6.11 सभी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए छात्र की पात्रता अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट किए गए अनुसार तथा, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार/संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र की आरक्षण नीति के अनुसार होगी।

परंतु यह कि सीटों के आबंटन के लिए काउंसिलिंग/प्रवेश का द्वितीय चक्र कैलेंडर वर्ष की 10 जुलाई को अथवा उससे पूर्व पूरा हो जाएगा। वह अंतिम तारीख, जिस तक किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्तियों पर छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा (किसी भी छात्र को किसी कोटे के अंतर्गत अंतिम तारीख के पश्चात् किसी संस्था में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए), कैलेंडर वर्ष की 15 अगस्त होगी।

6.12 परिषद् के अनुमोदन के बिना तकनीकी कार्यक्रम/पाठ्यक्रम संचालित करने वाली किसी संस्था को गैर-अनुमोदित संस्था कहा जाएगा।

7 **स्थाई अपीलीय समिति के समक्ष अपील**

7.1 परिषद् की कार्यकारिणी समिति के निर्णय से व्यथित संस्था/आवेदकों को **अस्वीकृति पत्र (एलओआर) जारी होने की तिथि के 7 दिन के भीतर** परिषद् के समक्ष केवल एक बार अपील करने का अधिकार होगा। ऐसे सभी आवेदकों/संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत की गई अपीलों को स्थाई अपीलीय समिति के समक्ष रखा जाएगा। परिषद् का अंतिम निर्णय कैलेंडर वर्ष की 30 अप्रैल अथवा उससे पूर्व अपलोड कर दिया जाएगा।

7.2 परिषद् का एक अधिकारी स्थाई अपीलीय समिति के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। संस्था के दो प्रतिनिधियों को अनुपालन एवं सहायक दस्तावेजों सहित स्थाई अपीलीय समिति के समक्ष संस्था का मामला प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

7.3 स्थाई अपीलीय समिति की सिफारिशें अभातशिप की परिषद् के समक्ष रखी जाएंगी, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

7.4 परिषद् का निर्णय, कैलेंडर वर्ष के 30 अप्रैल तक अथवा उससे पूर्व वेब-पोर्टल के माध्यम से अंतिम अनुमोदन प्रदान करने अथवा अन्य के संबंध में आवेदक को सूचित किया जाएगा। प्रस्ताव की अस्वीकृति के मामले में, आवेदन की अस्वीकृति का कारण भी दिया जाएगा।

8 **पूर्ति की जाने वाली अन्य अपेक्षाएं**

8.1 सभी तकनीकी संस्थाएं उनके निदेशक/प्राचार्य, संकाय सदस्यों एवं विद्यार्थियों के संबंध में जानकारी परिषद् के वेब-पोर्टल पर उपलब्ध प्रपत्र में अपलोड करेंगी तथा समय-समय पर इस सूचना का अद्यतन करती रहेंगी। सभी संकाय सदस्यों के पैन कार्ड की स्कैन की गई प्रति, आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो) तथा फार्म-16 भी वेब-पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

8.2 किसी संस्था/संकाय में पूर्णकालिक आधार पर कार्य करने वाले तथा नियमित पाली में किसी समान अवधि के किसी पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में अध्ययन करने/अध्ययन कर चुके संकाय/कर्मचारी को नियोजन/उच्चतर अध्ययन के प्रयोजनार्थ अमान्य माना जाएगा। तथापि, संकाय/कर्मचारी समान शहर में किसी दीर्घ अवधि के लिए अंशकालिक के रूप में किसी पाठ्यक्रम में अध्ययन करेगा।

- 8.3 संस्था अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में यथानिर्दिष्ट न्यूनतम मानकों और अर्हताओं को अंगीकृत करेगी। तथापि, मानित विश्वविद्यालय संस्था/प्रत्यायन/स्वायत्त हैसियत रखने वाली संस्थाएं निर्दिष्ट न्यूनतम मानकों और अर्हताओं को भी पार करेंगी।
- 8.4 आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि वे परिषद् को विभिन्न प्रयोजनों के लिए अपेक्षित सत्य और पूर्ण जानकारी और दस्तावेज प्रदान करें। यदि परिषद् को दी गई जानकारी और/अथवा प्रदान किए गए दस्तावेज गलत/अपूर्ण पाए जाते हैं और/अथवा आवेदक तथ्यात्मक जानकारी प्रकट करने में असफल रहता है और/अथवा उसने जानकारी को छिपाया/गलत प्रस्तुत किया है, तो परिषद् कार्यवाही आरंभ करेगी जिसमें अनुमोदन को वापस लेना/आवेदक के विरुद्ध आवश्यक समझी जाने वाली कोई अन्य कार्यवाही भी शामिल है।
- यदि प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज कपटपूर्ण पाया जाता है, तो संस्था के प्राचार्य और न्यास/सोसाइटी/कंपनी के अध्यक्ष/सचिव के विरुद्ध आपराधिक मामला दायर किया जाएगा।
- 8.5 अभातशिप ऐसे मामलों में तारीखों को अधिसूचित करके अथवा उसके बिना समय-समय पर निरीक्षण भी संचालित करेगी, जहां इस्तावेजों में जालसी, उनके गलत निरूपण, सन्नियमों और मानकों के उल्लंघन, कदाचार आदि की विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होती हैं।
- संस्थाएं अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका के मानदण्डों की पूर्ति के लिए औचक निरीक्षण के अध्यक्षीन होगी तथा आवेदकों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी जिसमें, यथास्थिति, अनुमोदन को वापस लेना तथा कोई अन्य आवश्यक समझी जाने वाली कार्यवाही भी शामिल है।
- 8.6 इन विनियमों के खंड 8.4 और 8.5 के अनुसार विद्यमान पाठ्यक्रमों के लिए अनुमोदन के विस्तार अथवा अनुमोदन विस्तार प्रदान करने से इंकार किए जाने की स्थिति में ऐसी संस्थाओं पर तब तक अनुमोदन के विस्तार के लिए विचार नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसी कार्यवाहियों का निपटान न हो जाए और प्रवर्तक/संस्थाएं उल्लंघन के आरोपों से मुक्त न हो जाएं।
- 8.7 ऐसी संस्थाओं के मामले में, जिनके कार्यक्रम/पाठ्यक्रम परिषद् द्वारा समाप्त कर दिए गए हैं अथवा अनुमोदन वापस/निलंबित कर दिया गया है, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र छात्रों को विश्वविद्यालय/बोर्ड से संबद्ध अन्य निकटवर्ती अभातशिप अनुमोदित तकनीकी संस्थाओं में पुनर्वितरित करेंगे तथा परिषद् पुनर्वितरित किए गए छात्रों को उनके कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों को पूरा कर लेने तक खपाने के लिए ऐसी संस्थाओं में अधिसंख्य सीटों की अनुमति होगी।

9

विनियमों के उल्लंघन के मामलों में कार्यवाही

- 9.1 इन विनियमों का उल्लंघन करते हुए कोई तकनीकी कार्यक्रम संचालित करने वाली संस्था कानूनी कार्यवाही प्रारंभ किए जाने, जिसमें अनुमोदन, यदि कोई है, को वापस लेना भी शामिल है, और/अथवा, यथास्थिति, संस्था और/अथवा उसके प्रवर्तक न्यास/सोसाइटी/कंपनी और उससे सहयोजित व्यक्तियों के विरुद्ध परिषद् द्वारा कानूनी आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ किए जाने की दायी होगी।
- 9.2 यदि कोई संस्था प्रासंगिक विनियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करती है, तो परिषद् स्थायी सुनवाई समिति (एस.एच.सी.) के माध्यम से उपयुक्त जांच कराए जाने के पश्चात् तथा स्थायी अपील समिति (एस. ए.सी.) के माध्यम से उसे सुने जाने का अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत उपयुक्त जांच कराए जाने के पश्चात् प्रदान किए गए अनुमोदन को वापस लेगी। संस्था को प्रदान किए गए अनुमोदन को वापस लेने की स्थिति में, तकनीकी संस्था/न्यास/सोसाइटी/कंपनी अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार दो शैक्षणिक वर्षों की समाप्ति के उपरांत नई संस्था स्थापित करने के लिए नया आवेदन प्रस्तुत करेगी।
- 9.3 किसी प्रासंगिक विनियम के उल्लंघन के लिए किसी संस्था के विरुद्ध परिषद् द्वारा दांडिक कार्यवाही प्रारंभ किए जाने से संबंधित किसी वाद के मामले में, ऐसी संस्था को, इसके प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट न्यायालय आदेश के अभाव में, यथा लागू अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार आगामी शैक्षणिक वर्ष में अभातशिप वेब-पोर्टल पर आवेदन करना होगा।

- 9.4 अनुमोदन के विस्तार के लिए आवेदन प्रस्तुत न किया जाना/अधूरे आवेदन प्रस्तुत किया जाना अनुमोदन के विस्तार के लिए आवेदन प्रस्तुत न किये जाने/अधूरे आवेदन प्रस्तुत किये जाने/गलत सूचना प्रस्तुत किए जाने संस्था के विरुद्ध उपयुक्त दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में संस्था परिषद् द्वारा निम्न दण्डात्मक कार्रवाईयों में से किसी एक अथवा अधिक की दायी होगी :
- एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एनआरआई तथा अतिरिक्त सीटों के लिए अनुमोदन का निलम्बन
 - 'संस्तुत प्रवेश क्षमता' में कमी
 - एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक/अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं (नो एडमिशन) स्थिति
 - कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन वापस लेना
 - संस्था के अनुमोदन को वापस लेना
- 9.5 अर्हक प्राचार्य/निदेशक की अपेक्षा की पूर्ति न किया जाना ऐसी संस्था, जिनके पास 12 माह की अवधि से अधिक के लिए पद के लिए, यथानिर्धारित अर्हता के अनुसार प्राचार्य/निदेशक नहीं होंगे, वे परिषद् द्वारा निम्न दण्डात्मक कार्रवाईयों में से किसी एक अथवा अधिक की दायी होंगी :
- 'संस्तुत प्रवेश क्षमता' में कमी
 - एक शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश नहीं (नो एडमिशन) स्थिति
- 9.6 संकाय: छात्र अनुपात की पूर्ति न होना, शिक्षण स्टाफ के लिए निर्दिष्ट वेतनमानों और/अथवा अर्हताओं का अनुपालन न किया जाना ऐसी संस्थाएं, जो 12 माह से अधिक के लिए यथानिर्दिष्ट संकाय : छात्र अनुपात का अनुरक्षण नहीं कर रही हैं, शिक्षण स्टाफ के लिए निर्दिष्ट वेतनमानों और/अथवा अर्हताओं का अनुपालन नहीं कर रही हैं, वे परिषद् द्वारा निम्न दण्डात्मक कार्रवाईयों में से किसी एक अथवा अधिक की दायी होंगी :
- एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एनआरआई तथा अतिरिक्त सीटों यदि कोई हों, के लिए अनुमोदन का निलम्बन
 - 'संस्तुत प्रवेश क्षमता' में कमी
 - एक शैक्षणिक वर्ष के लिए संबंधित पाठ्यक्रम (ओं) में प्रवेश नहीं (नो एडमिशन) स्थिति
 - संबंधित पाठ्यक्रम (ओं) के लिए अनुमोदन वापस लेना
 - संस्था के अनुमोदन को वापस लेना
- परिषद् राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ई.सी.एस.) के माध्यम से कर्मचारियों के वेतन को नियमित न करने तथा उसका समय पर और पूर्ण भुगतान सुनिश्चित न करने के लिए दंडिक कार्यवाही प्रारंभ करेगी।
- 9.7 कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, प्रिंटरों, प्रयोगशाला उपकरणों, पुस्तकों, जर्नलों, पुस्तकालय सुविधाओं की अपेक्षाओं की पूर्ति न किया जाना जो संस्थाएं, यथानिर्दिष्ट कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, प्रिंटरों, प्रयोगशाला उपकरणों, पुस्तकों, जर्नलों एवं पुस्तकालय सुविधाओं की पूर्ति नहीं करेगी, वे परिषद् द्वारा निम्न दण्डात्मक कार्रवाईयों में से किसी एक अथवा अधिक की दायी होंगी :
- एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एनआरआई तथा अतिरिक्त सीटों, यदि कोई हैं, के लिए अनुमोदन का निलम्बन

- 'संस्तुत प्रवेश क्षमता' में कमी
- एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक/अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं (नो एडमिशन) स्थिति
- कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन वापस लेना
- संस्था के अनुमोदन को वापस लेना।

9.8 तकनीकी संस्था के लिए अतिरिक्त अनिवार्य अपेक्षाओं की पूर्ति न किया जाना

जो संस्थाएं अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका के अनुसार अनिवार्य अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करेंगी, वे परिषद् द्वारा निम्न दण्डात्मक कार्रवाईयों में से किसी एक अथवा अधिक की दायी होंगी :-

- एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एनआरआई तथा अतिरिक्त सीटों, यदि कोई हैं, के लिए अनुमोदन का निलंबन
- 'संस्तुत प्रवेश क्षमता' में कमी
- एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक/अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं (नो एडमिशन) स्थिति

9.9 स्थापना के वर्ष/चालू वर्ष के समय पर आवश्यक भूमि तथा निर्मित क्षेत्र की पूर्ति न करना

अस्थायी स्थानों और परिषद् द्वारा गैर-अनुमोदित स्थानों पर तकनीकी शिक्षा में पाठ्यक्रम/कार्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं तथा अपेक्षित आवश्यक निर्मित क्षेत्र की अपेक्षा पूरी न करने वाली संस्थाएं परिषद् द्वारा निम्न दण्डात्मक कार्रवाईयों में से किसी एक अथवा अधिक की दायी होंगी :-

- एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एनआरआई तथा अतिरिक्त सीटों, यदि कोई हैं, के लिए अनुमोदन का निलंबन
- 'संस्तुत प्रवेश क्षमता' में कमी
- एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक/अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं (नो एडमिशन) स्थिति
- कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन वापस लेना
- संस्था के अनुमोदन को वापस लेना।

9.10 द्वितीय पाली के लिए समय-सारणी/संकाय अपेक्षाओं का अनुपालन

द्वितीय पाली घोषित समय सारणी दोपहर 12 बजे से सायं 7 बजे तक 50 प्रतिशत अतिरिक्त संकाय के साथ संचालित की जानी चाहिए, ये आकस्मिक निरीक्षण के अध्यक्षीन होंगे तथा समय सारणी का अनुपालन न किए जाने तथा अपर्याप्त संकाय के लिए संस्थान को बंद किया जा सकता है।

9.11 अधिक प्रवेश

किसी भी परिस्थिति में 'स्वीकृत सीट संख्या' से अधिक प्रवेश देने की अनुमति नहीं होगी। यदि संस्था द्वारा अधिक प्रवेश की सूचना दी जाती है/परिषद् द्वारा यह पाया जाता है, तो संस्था के विरुद्ध उपयुक्त दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में संस्था परिषद् द्वारा निम्न दण्डात्मक कार्रवाईयों में से किसी एक अथवा अधिक की दायी होगी :-

- प्रत्येक अधिक प्रवेश के लिए प्रति छात्र वसूले गये कुल अधिक प्रवेश शुल्क (फीस) का पांच गुणा शास्ति उद्ग्रहित की जाएगी
- एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एनआरआई तथा अतिरिक्त सीटों, के लिए अनुमोदन का निलंबन
- संस्तुत प्रवेश क्षमता में कमी
- एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक/अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं (नो एडमिशन) स्थिति

- कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन वापस लेना

संस्था के अनुमोदन को वापस लेना

9.12

सम्बन्धित राज्य/शुल्क विनियामक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क प्रभारित करना

संस्थाओं को अपनी वेबसाइट पर समस्त शुल्कों जैसे शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि की घोषणा पारदर्शी रूप से करनी होगी तथा उसका कड़ाई से अनुपालन करना होगा। तकनीकी संस्था विद्याथियों से सम्बन्धित राज्य/शुल्क विनियामक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक कोई भी अन्य शुल्क (भुगतान/राशि) प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगी। यदि कोई संस्था उक्त दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करती है तो वह परिषद् द्वारा निम्न दण्डात्मक कार्रवाईयों में से किसी एक अथवा अधिक की दायी होगी :-

- प्रति छात्र वसूली गई कुल अधिक फीस की दोगुनी शास्ति उद्ग्रहित की जाएगी तथा लिया गया अतिरिक्त शुल्क विद्यार्थी को वापस लौटाया जाएगा।
- एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एनआरआई तथा अतिरिक्त सीटों, यदि कोई हों, के लिए अनुमोदन का निलंबन
- 'संस्तुत प्रवेश क्षमता' में कमी
- एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक/अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं (नो एडमिशन) स्थिति
- कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन वापस लेना
- संस्था के अनुमोदन को वापस लेना

9.13

अवसंरचनात्मक सुविधाओं के भौतिक सत्यापन के लिए विशेषज्ञ दौरा समिति को अनुमति न देने वाली संस्थाएं/अधिभोग प्रमाणपत्र/पूर्णता प्रमाणपत्र/भवन लाइसेंस/प्ररूप-घ/बाधान्मुक्त परिवेश न रखने वाली संस्थाएं/एनएडी न रखने वाली अथवा परिषद् के लिए छात्र नामांकन आंकड़े अपलोड न करने वाली पीजीडीएम संस्थाएं/संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के समय संकाय सदस्यों से मूल डिग्री प्रमाणपत्रों की मांग करने वाली संस्थाएं

अवसंरचनात्मक सुविधाओं के भौतिक सत्यापन के लिए विशेषज्ञ दौरा समिति को अनुमति न देने वाली संस्थाएं/अधिभोग प्रमाणपत्र/पूर्णता प्रमाणपत्र/भवन लाइसेंस/प्ररूप-घ/बाधान्मुक्त परिवेश न रखने वाली संस्थाएं/एनएडी न रखने वाली अथवा अभातशिप वेब-पोर्टल पर छात्र नामांकन आंकड़े अपलोड न करने वाली पीजीडीएम संस्थाएं/संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के समय संकाय सदस्यों से मूल डिग्री प्रमाणपत्रों की मांग करने वाली संस्थाएं। परिषद् द्वारा निम्नलिखित में से किसी एक अथवा अधिक दंडिक कार्यवाहियों के लिए दायी होंगी :-

- एक शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश नहीं
- संस्था के अनुमोदन को वापस लेना

9.14

सहयोग और टिवनिंग के मामले में मानदंडों का उल्लंघन

- यदि कोई विदेशी विश्वविद्यालय/संस्था अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में यथानिहित किसी शर्त का अनुपालन करने में असफल रहती है, तो परिषद् स्थायी अपील समिति के माध्यम से उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् भारत में उनके डिप्लोमा/पोस्ट डिप्लोमा प्रमाणपत्र/स्नातकपूर्व डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा और स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करने के लिए ऐसे विश्वविद्यालय/संस्था को प्रदान किए गए टिवनिंग कार्यक्रम का अनुमोदन वापस लेगी तथा ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय/संस्था को या तो केन्द्र खोलने अथवा भारत में किसी विश्वविद्यालय संस्था के साथ कोई सहयोगी व्यवस्था करने से इंकार कर देगी।
- परिषद् विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आरबीआई सहित संबंधित एजेंसियों को भी ऐसे निर्णयों की सूचना देगी तथा इन एजेंसियों को परामर्श देगी कि वे निम्नलिखित उपायों में किसी अथवा सभी पर कार्यवाही

करें :-

- उक्त विश्वविद्यालय/संस्था के कर्मचारियों/शिक्षकों को वीजा प्रदान करने से इंकार किया जाना वापस लिया जाना।
 - भारत से गृह देश को निधियों के प्रत्यावर्तन को रोकना।
 - जनता को विदेशी विश्वविद्यालय/संस्था के ट्विनिंग कार्यक्रम के अनुमोदन को वापस लिए जाने तथा उसे परिणामों के बारे में सूचित करना।
- ग. यदि परिषद् के ध्यान में यह आता है कि कोई विदेशी विश्वविद्यालय अनुमोदन प्राप्त किए बिना भारत में प्रत्यक्षतः अथवा किसी भारतीय भागीदार के साथ सहयोग करते हुए डिप्लोमा/पोस्ट डिप्लोमा प्रमाणपत्र/स्नातकपूर्व डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिग्री स्तरीय कार्यक्रम संचालित कर रहा है, तो परिषद् विश्वास के आपराधिक रूप से भंग किए जाने, कदाचार, धोखाधड़ी, ठगी आदि के लिए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तत्काल कार्यवाही प्रारंभ करेगी।
- घ. ट्विनिंग कार्यक्रम का अनुमोदन वापस ले लिए जाने के उपरांत परिषद् संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र के साथ समन्वय करते हुए ऐसे कार्यक्रम में नामांकित छात्रों को परिषद् की अन्य अनुमोदित संस्थाओं में पुनःआबंटित करने के लिए प्रयास करेगी। संस्था ऐसे छात्रों से एकत्र की गई समस्त शुल्क की राशि उस संस्था को लौटा देगी जिसमें छात्रों को खपाया गया है।
- ङ. ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय/संस्था को कम से कम आगामी 3 वर्षों तक भारत में किसी अन्य केन्द्र/संस्था के साथ सहयोग करने अथवा कोई अन्य सहयोगी व्यवस्था करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

9.15

फीस वापसी के मामले

- क. ऐसे मामले जिनमें विद्यार्थी नया पाठ्यक्रम आरंभ होने से पूर्व, अपना प्रवेश वापस ले लेता है, संस्थान को विद्यार्थी से लिए गए शुल्क में से केवल प्रक्रमण शुल्क काटकर, जो कि रु 1000/- (रूपये एक हजार मात्र) से अधिक नहीं होगा, सम्पूर्ण शुल्क विद्यार्थी को वापस करना होगा। संस्थान को विद्यार्थी के स्कूल/संस्थान छोड़ने के मूल प्रमाण-पत्र को रखने की अनुमति नहीं होगी।
- ख. यदि विद्यार्थी पाठ्यक्रम में शामिल होने (ज्वाइनिंग) के पश्चात् पाठ्यक्रम छोड़ता है तथा परिमाणतः खाली सीट को प्रवेश की अंतिम तिथि तक किसी अन्य विद्यार्थी द्वारा भर लिया जाता है, तो संस्थान को उसके द्वारा लिए गए शुल्क से अनुपातिक रूप से मासिक शुल्क तथा जहाँ लागू हो, वहाँ छात्रावास का अनुपातिक किराया काटकर शेष शुल्क अनिवार्यताः छात्र को लौटाना होगा।
- ग. शुल्क की वापसी के प्रयोजनार्थ पीजीडीएम प्रवेश की वापसी की अंतिम तारीख प्रत्येक वर्ष 30 जून होगी।
- घ. यदि खाली सीट नहीं भरी जाती है, तो संस्थान को सुरक्षा जमा तथा मूल दस्तावेजों को वापस लौटाना होगा।
- ङ. संस्था द्वारा किसी भी समय उनका प्रवेश रद्द करने के पश्चात् विद्यार्थी से आगामी वर्ष के शुल्क की माँग नहीं की जा सकेगी। प्रमाण-पत्र एवं शुल्क 7 दिन के भीतर लौटा दिए जाएं।
- च. प्रवेश के रद्द होने पर फीस की वापसी के बारे में अभातशिप के दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाली अथवा धन-वापसी में देरी करने वाली संस्थाएं, परिषद् द्वारा निम्न दण्डात्मक कार्रवाईयों में से किसी एक अथवा अधिक की दायी होंगी :-
- शुल्क (फीस) की वापसी के प्रत्येक मामले के लिए प्रति छात्र से वसूले गए कुल शुल्क के दो गुणा के समकक्ष का जुर्माना उद्ग्रहित किया जाएगा
 - एक शैक्षणिक वर्ष के लिए, एनआरआई तथा अतिरिक्त सीटों के लिए अनुमोदन का निलंबन, यदि कोई हो
 - 'संस्तुत प्रवेश क्षमता' में कमी

- एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक/अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं (नो एडमिशन) स्थिति
 - कार्यक्रम/पाठ्यक्रम हेतु अनुमोदन की वापसी
- 9.16 ऐसी संस्थाओं के मामले में, जहां परिपक्वता की अवधि से पूर्व एफडीआर का भुगतान कर लिया गया है अथवा एलओए के समय अपेक्षित प्रतिभूति जमा को जमा नहीं कराया गया है, एफडीआर के मूल्य की 10 प्रतिशत शास्ति अधिरोपित की जाएगी। तथापि, ऐसी संस्थाओं जिन्होंने एफडीआर सृजित नहीं की है/कम अविध/एलओए के समय निर्दिष्ट राशि की तुलना में कम राशि की एफडीआर सृजित की है, को उसे अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट किए गए अनुसार सृजित करना होगा।
- 9.17 जुर्माने की राशि का भुगतान निर्देशों के अनुसार परिषद् को ऑनलाईन किया जाएगा।
- 9.18 यदि शपथ-पत्र में उल्लिखित कोई जानकारी गलत सिद्ध हो जाती है, तो अभिसाक्षी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही आरंभ की जाएगी जिसमें दंडित कार्यवाही भी शामिल है।
- 9.19 अनुमोदन वापस लेने के मामले को छोड़कर दंडिक कार्यवाही के विरुद्ध श्रतिपूर्ति के लिए प्रक्रिया संस्थाओं को प्रवेश-क्षमता की पुनः वापसी के लिए आवेदन करना होगा तथा उस पर कार्यवाही अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट किए गए अनुसार की जाएगी।
- 10 प्रतिभूति जमा को जारी करना**
- न्यास/सोसाइटी/कंपनी ऑनलाईन आवेदन ऐसी तथा प्रतिभूहित जमा को जारी करने के लिए अभातशिप के वेब-पोर्टल पर प्रासंगिक दस्तावेज अपलोड/प्रस्तुत करेगी तथा उसका प्रक्रमण अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
- 11 शिकायत के मामले**
- संस्था के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होने के मामले में, उसका प्रक्रमण जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (पीजीआरसी), अभातशिप द्वारा किया जाएगा।
- शिकायत को स्थायी शिकायत संवीक्षा समिति (एससीएससी) के समक्ष रखा जाएगा तथा, यदि आवश्यक हुआ, शिकायतकर्ता को बुलाया जाएगा (उसके अपने खर्च पर)। एससीएससी की सिफारिश के आधार पर, संस्था को चेतावनी अथवा कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा अथवा ईवीसी संचालित की जाएगी और इन विनियमों के 6.3 ड. के अनुसार आगे कार्यवाही की जाएगी। यदि आवश्यक हुआ, तो शिकायतकर्ता को उसके अपने खर्च पर स्थायी सुनवाई समिति के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए बुलाया जाएगा।
- सीसीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार, अनाम/छद्म नाम वाली शिकायतों का प्रक्रमण नहीं किया जाएगा।
- 12 दंडिक कार्यवाही का कार्यान्वयन**
- असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत, यदि परिषद् द्वारा दंडात्मक कार्यवाही (जुर्माने को छोड़कर) कैलेंडर वर्ष के 30 अप्रैल तक अनुमोदित कर दी जाती है, तो उसका कार्यान्वयन केवल आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए ही किया जाएगा।
- 13 अध्यक्ष अभातशिप के पास प्रत्यायोजित शक्तियाँ**
- परिषद् द्वारा अभातशिप के अध्यक्ष के पास दो कार्यकारिणी/परिषद् की बैठकों की समयवधि के बीच संस्थान को प्रेषित किए जाने वाले तात्कालिक मामलों पर निर्णय लेने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई है। तथापि, ऐसे मामले पुष्टि हेतु आगामी कार्यकारिणी/परिषद् में रखे जाएंगे।
- 14 संवीक्षा/विशेष दौरा समिति संचालित करने हेतु प्रभार**
- असाधारण परिस्थितियों में, यदि अतिरिक्त संवीक्षा/ईवीसी संचालित की जाएगी जिसमें **संस्था को न्यायालय का किसी भी प्रकार का निर्देश भी शामिल है**, तो आवेदक को अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्धारित किए गए अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा।

- 15 अनुमोदन पत्र (एलओए)/अनुमोदन में विस्तार पत्र (ईओए) जारी करने की समय-सीमा
पार्श्वनाथ चैरीटेबल ट्रस्ट एवं अन्य बनाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं अन्य नामक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) सिविल संख्या 9048/2012 पर भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.12.2012 में दिए गए आदेश को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन पत्र (एलओए)/अनुमोदन में विस्तार पत्र (ईओए) प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के 30 अप्रैल के पश्चात् प्रदान नहीं किया जाएगा।
ऐसे मामले में, जहाँ शैक्षणिक वर्ष के दौरान बाद में कमियों को पूरा कर लिया जाता है, तब असाधारण परिस्थितियों में ही, अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए अनुमोदन दिया जाएगा।
- 16 सामाजिक दायित्व
सामाजिक दायित्व की पूर्ति के क्रम में, प्रत्येक परिषद् अनुमोदित तकनीकी संस्था से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रतिवर्ष कम से कम 100 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने हेतु राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के अन्तर्गत संकलित कौशल विकास पाठ्यक्रम चलाए। ये कार्यक्रम उस स्थान के स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं पर आधारित होने चाहिए, जहाँ पर वह संस्थान स्थापित है।
- 17 कोई अन्य कौशल कार्यक्रम चलाना
संस्थाएं, शिक्षा की गुणवत्ता के साथ कोई भी समझौता किए बिना, किसी भी अन्य विनियामक निकाय के कार्यक्रम चला सकती हैं जिसके लिए वे संस्था में विद्यमान सुविधाओं का प्रयोग कर सकती हैं अथवा नई सुविधाएं सृजित कर सकती हैं, ऐसे पाठ्यक्रम सम्बन्धित विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानकों के अन्तर्गत दिए गए प्रावधान के अनुसार, अभातशिप का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करके ही चलाए जा सकते हैं। ऐसे मामलों में, अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए संवीक्षा समिति संचालित की जाएगी।
- 18 निर्वचन
इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में उठने वाले किसी भी प्रश्न का निर्णय परिषद् द्वारा किया जाएगा तथा परिषद् का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।
- 19 छूट देने की शक्ति
परिषद् अपवादस्वरूप मामलों में, किसी कठिनाई के निवारण के लिए अथवा राष्ट्रहित में अथवा ऐसे अन्य कारणों से जिन्हें लिखित में अभिलेखित किया जाएगा, संस्था के किसी भी वर्ग अथवा श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में छूट दे सकेगी।

प्रो० आलोक प्रकाश मित्तल, सदस्य सचिव,

[विज्ञापन-III/4/असा./478/18]

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December 2018

All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Institutions) Regulations, 2018)

F. No. AB/AICTE/REG/2018:—In exercise of its powers conferred under sub-section (1) of Section 23 read with Sections 10 and 11 of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987) and in supersession of the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for the Technical Institutions) Regulations, 2016 notified in the Gazette of India vide F. No: 37-3/Legal/AICTE/2016 dated 30th November, 2016 and the First Amendment dated 5th December 2017 in Gazette notification, the All India Council for Technical Education makes the following Regulations:—

Preamble:

To regulate/ facilitate in an organized manner, the Technical Institutions in maintaining quality, to follow the norms in consistent with the ideals of AICTE and further to create an enabling environment for the Technical Institutions to become high quality Institutions, AICTE, in exercise of powers conferred under sub section (1) of Section 23 read with Sections 10 and 11 of the All India Council for Technical Education Act, 1987, hereby makes the following Regulations namely:-

1 Short Title, Application and Commencement

- 1.1 These Regulations shall be called the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for the Technical Institutions) Regulations, 2018.
- 1.2 These Regulations are applicable for the applications submitted under:
- a. Setting up a new Technical Institution offering a Technical Programme at Diploma/ Post Diploma Certificate/ Under Graduate Degree/ Post Graduate Diploma/ Post Graduate Degree Level;
 - b. Change of Site/ Location;
 - c. Conversion of Women's Institution into Co-ed Institution and vice-versa;
 - d. Conversion of Diploma Level into Degree Level and vice-versa;
 - e. To start new Programme(s)/ Level(s) in the existing Institutions;
 - f. Extension of Approval to the existing Institutions;
 - g. Continuation of approval after a break in the preceding Academic Year(s)/ Restoration of Intake;
 - h. Extended EoA;
 - i. Increase in Intake/ Additional Course(s);
 - j. Introduction of Integrated/ Dual Degree Course;
 - k. To start Diploma in Degree Pharmacy Institutions and vice-versa;
 - l. Merger of Institutions under the same Trust/ Society/ Company operating in the same Campus;
 - m. Closure of the Institution;
 - n. Conversion of Management Institutions running PGDM Course into MBA Course;
 - o. Conversion of Second Shift Course(s) into First Shift Course(s);
 - p. Closing of MBA Programme and Introduction of MCA Programme and vice-versa;
 - q. Introduction/ Continuation of Fellowship Programme in Management;
 - r. Introduction/ Continuation of supernumerary seats for Foreign Nationals/ Overseas Citizen of India (OCI)/ Persons of Indian Origin (PIO)/ Children of Indian Workers in Gulf Countries;
 - s. Introduction/ Continuation of seats for Non Resident Indian(s);
 - t. Change in the Name of the Course(s)/ Merger of the Courses/ Reduction in Intake/ Closure of Programme(s)/ Course(s)/ Merger of Lateral Entry Separate Division in Second Year Engineering and Technology/ MCA to First Year Regular Courses;
 - u. Change in the Name of the Institution or Affiliating University/Board;
 - v. Change in the Name of the Bank;
 - w. Change in the Name of the Trust/ Society/ Company;
 - x. Collaboration and Twinning Programme between Indian and Foreign Universities/

Institutions in the field of Technical Education, Research and Training; and

y. Introduction of Vocational Education Courses.

1.3 These Regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2

Definitions

In these Regulations, unless the context otherwise requires

2.1 “Academic Year” means Academic Year of the concerned Affiliating University/ Board/ Technical Institution.

2.2 “Act” means the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987).

2.3 “Adjunct Faculty” means resource person as per the guidelines specified in Approval Process Handbook.

2.4 “Affidavit” is a written sworn statement of fact voluntarily made by a deponent under an oath or affirmation administered by a person authorized to do so by Law. Such statement is witnessed as to the authenticity of the deponent's signature by a taker of oaths, such as a Notary Public or Commissioner of Oaths.

2.5 “AICTE Web-Portal” means the Web site hosted by the Council at URL www.aicte-india.org.

2.6 “Approval Process Handbook (APH)” is a handbook published by AICTE, prescribing norms and procedures for processing of applications submitted for grant of various approvals.

2.7 “Applicant” is the one who makes an application to the Council for seeking any kind of approval under these Regulations.

2.8 “Approved Institution” means the Technical Institution approved by the Council.

2.9 “Approved Intake” means the number of students to be admitted in a Course as approved by the Council.

2.10 “Autonomous Institution” means an Institution to which autonomy is granted by UGC and is designated to be so by the Statutes of Affiliating University/ Board.

2.11 “Break in EoA” means break in the Extension of Approval of the Institution in the previous year(s).

2.12 “Build-Operate-Transfer (BOT)” means a project financing, wherein a private entity receives a concession from the public sector to finance, design, construct and operate a facility stated in the concession contract.

2.13 “Chairman” means the Chairman of AICTE as described under sub-section 4(a) of Section 3 of AICTE Act, 1987.

2.14 “Co-ed Institution” means the Institution admitting male, female and transgender students.

2.15 “Commission” means the University Grants Commission established under Section 4 of the University Grants Commission Act, 1956.

2.16 “Company” means a Company established/ registered under Section 8 of the Companies Act, 2013.

2.17 “Competent Authority for Admission” means an Organization that has, the legally delegated authority, capacity, or power to do admission to Technical Institutions in the State Government/ UT concerned.

2.18 “Compliance Report” means the Report submitted by the Technical Institution complying with the requirements as specified in the Approval Process Handbook for the deficiencies observed by Expert Visit Committee/ issues mentioned in the Show Cause

- Notice.
- 2.19 “Constituent College” means an Institution/ Department/ College/ School as a part of the University.
- 2.20 “Council” means All India Council for Technical Education established under Section 3 of the Act.
- 2.21 “Course” means one of the branches of learning in a Programme such as Civil Engineering, Mechanical Engineering, etc.
- 2.22 “Division” means
- a. A batch of a maximum of Sixty (60) seats in Diploma/ Under Graduate Courses in Engineering and Technology/ Hotel Management and Catering Technology/ Post Graduate Courses in MCA/ PGCM/ PGDM/ MBA Programme, excluding supernumerary seats, if any;
 - b. A batch of Sixty (60) seats in Diploma/ Under Graduate Courses and to a maximum of Hundred (100) seats in Under Graduate Courses in Pharmacy Programme, excluding supernumerary seats, if any;
 - c. A batch of a maximum of Forty (40) seats in Diploma/ Under Graduate Courses in Architecture/ Planning Programme, excluding supernumerary seats, if any;
 - d. A batch of a maximum of Thirty (30) seats in Diploma/ Under Graduate Courses in Applied Arts and Crafts Programme, excluding supernumerary seats, if any;
 - e. A batch of a maximum of Thirty (30) seats in Diploma/ Under Graduate Courses in Design Programme, excluding supernumerary seats, if any;
 - f. A batch of a maximum of Thirty (30) seats in Post Graduate Courses in Engineering and Technology/ Planning/ Applied Arts and Crafts/ Hotel Management and Catering Technology Programme, excluding supernumerary seats, if any;
 - g. A batch of a maximum of Twenty (20) seats in Post Graduate Courses in Architecture Programme, excluding supernumerary seats, if any;
 - h. A batch of a maximum of Fifteen (15) seats in Post Graduate Courses in Design Programme, excluding supernumerary seats, if any;
 - i. A batch of a maximum of Fifteen (15) seats in Post Graduate Courses in Pharmacy, Thirty (30) seats in Pharm.D., Ten (10) seats in Pharm.D. (Post Baccalaureate) in Pharmacy Programme, excluding supernumerary seats, if any;
 - j. A batch of a maximum of Sixty (60) seats in Integrated Degree Courses in Engineering and Technology/ Hotel Management and Catering Technology/ MCA Programme and Integrated/ Dual Degree Course in MBA Programme, excluding supernumerary seats, if any;
 - k. A batch of a maximum of Forty (40) seats in Integrated Degree Course in Planning Programme, excluding supernumerary seats, if any; and
 - l. A maximum of Twenty (20) seats per year in Fellowship in Management Programme.
- 2.23 “EoA” means Extension of Approval granted by AICTE for conduct of Technical Programme(s)/ Course(s) to an Institution for that Academic Year.
- “Extended EoA” means Extension of Approval granted by AICTE for conduct of Technical Programme(s)/ Course(s) to an Institution for more than one Academic Year.
- 2.24 “Executive Committee” means the Committee constituted by the Council under Section 12 of AICTE Act, 1987.
- 2.25 “Expert Visit Committee (EVC)” means the Committee constituted by the Regional Officer as per the composition specified in Approval Process Handbook to verify

- physically the availability of Infrastructural facilities of an Institution.
- 2.26 “First Shift” means educational activities conducted in the First spell of time (from 8 am to 3 pm) wherever two-shift working exists.
- 2.27 “Foreign National” means the Citizen of the Countries other than India who are not of Indian origin as defined under OCI/ PIO.
- 2.28 “Government aided Institution” means Technical Institution that meets 50% or more of its recurring expenditure out of the grant received from the Government or Government Organizations.
- 2.29 “Government Institution” means Technical Institution established and/ or fully maintained by the Government.
- 2.30 “Head of the Institution” means the Vice-Chancellor in case of a University or an Institution Deemed to be University, the Principal/ Director/ such other designation as the administrative Head of the Institution of the Technical Institution referred.
- 2.31 “Institution Deemed to be University” means an Institution for higher Education so declared, on the recommendation of the Commission, by the Central Government under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956.
- 2.32 “Lateral Entry” means admission of students into the second year of Diploma/ Under Graduate Degree/ MCA Programmes as specified in Approval Process Handbook.
- 2.33 “Level” means Diploma, Post Diploma Certificate, Under Graduate Degree, Post Graduate Diploma and Post Graduate Degree Programmes.
- 2.34 “Minority Institution” means an Educational Institution established and administered by a minority or minorities and recognized by Competent Authority as Minority Institution.
- 2.35 “NBA” means the National Board of Accreditation, an autonomous body set up by AICTE, registered under Societies Registration Act, 1860.
- 2.36 “Part Time” means educational activities conducted in evening time, i.e. 5.30 pm to 9.30 pm (six days a week) wherever Regular/ First Shift working exists and are meant only for working professionals or professionals with at least two years of work experience. Duration of the Course shall be a minimum of one/ two Semester(s) in excess than that of the Regular Course.
- 2.37 “Private University” means a University duly established through a State/ Central Act by a sponsoring body viz., a Society registered under the Societies Registration Act 1860, or any other corresponding Law for the time being in force in a State or a Public Trust or a Company registered under Section 8 of the Companies Act, 2013.
- 2.38 “Programme” means the field of Technical Education, i.e. Engineering and Technology, Pharmacy, Architecture and Planning, Applied Arts, Crafts and Design, Hotel Management and Catering Technology, MCA, Management (PGCM/ PGDM/ MBA) and such other Programmes/ areas as notified by AICTE Act, 1987.
- 2.39 “Public Private Partnership (PPP)” means a Partnership based on a contract or concession agreement, between a Government or Statutory entity on the one side and a Private Sector enterprise on the other side.
- 2.40 “Regional Committee (RC)” means a Committee established for each region under Section 14 of AICTE Act, 1987.
- 2.41 “Restoration of Intake” means restoring back to the “Approved Intake” of the Institution that was existing prior to any penal action.
- 2.42 “Second Shift” means educational activities conducted in the Second spell of time (from 12 Noon to 7 pm) wherever two-shift working exists.
- 2.43 “Self-Financing Institution” means an Institution started by a Trust/ Society/ Company and does not receive grant/ fund from Central/ State Government/ UT for meeting its

recurring expenditure.

- 2.44 “Single Shift/ Regular Shift” means where, educational activities of the Technical Institution are conducted between 9 am and 5 pm.
- 2.45 “Society” means a Society registered under Societies Registration Act, 1860.
- 2.46 “Standalone Institutions” means those Institutions which are not affiliated to any of the University/ Board, but are imparting education by means of conducting regular courses leading to Diploma, Post Diploma Certificate, Post Graduate Certificate and Post Graduate Diploma Levels in Management and allied areas, Travel and Tourism, Innovation and Entrepreneurship, Computer Applications and Design.
- 2.47 “Standing Appellate Committee (SAC)” means a Committee constituted by the Chairman as per the composition specified in Approval Process Handbook for considering the appeals of the Technical Institutions.
- 2.48 “Standing Complaint Scrutiny Committee (SCSC)” means a Committee constituted by the Chairman as per the composition specified in Approval Process Handbook for the Scrutiny of Complaints received against the Technical Institutions.
- 2.49 “Standing Hearing Committee (SHC)” means a Committee constituted by the Chairman as per the composition specified in Approval Process Handbook to review the Reports of the Expert Visit Committee/ replies received for Show Cause Notices.
- 2.50 “State Level Fee Committee” means a Committee notified by the concerned State Government/ UT for Regulation of fee to be charged by the Technical Institutions.
- 2.51 “Supernumerary seats” includes TFW, OCI/ PIO/ Foreign Nationals/ Children of Indian Workers in the Gulf Countries, Lateral Entry, PwD and J&K PMSSS seats notified from time to time, over and above the “Approved Intake”.
- 2.52 “Technical Institution” means an Institution set up by the Government, Government aided and Self-Financing/ Trust/ Society/ Company for conducting Course(s)/ Programme(s) in the field of Technical Education, Training and Research in Engineering and Technology, Pharmacy, Architecture and Planning, Applied Arts, Crafts and Design, Hotel Management and Catering Technology, MCA, Management, and such other Programmes and areas as notified by AICTE Act, 1987.
- 2.53 “Trust” means a Trust registered under the Indian Trust Act, 1882 as amended from time to time or any other relevant Acts.
- 2.54 “University” means a University defined under Clause (f) of Section 2 of the University Grants Commission Act, 1956.
- 2.55 “University Department” means a Department established and maintained by the University.
- 2.56 Any other word and expression used herein and not defined but defined in the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), shall have the same meaning respectively assigned to them in the said Act.

3

Relevance of Grant of Approval

- 3.1 After commencement of these Regulations
- a. New Technical Institutions either by Government/ Government aided or Self-financing Institutions shall be started ONLY after obtaining approval of the Council.
 - b. Existing Government/ Government aided/ Self-financing Institutions shall either conduct/ increase/ reduce the intake in the existing Course(s)/ Programmes or introduce new Programme(s)/ Course(s) at any Level ONLY after obtaining approval of the Council.
 - c. In no eventuality, a Technical Institution without prior approval of AICTE and

Affiliating University/ Board concerned, shall be allowed to participate in the counselling and admission process and to admit students.

- d. Affiliating University/ Board shall not enroll students admitted in such Technical Institutions, which do not have requisite prior approval of the Council.
- e. Central/ State Government/ UT concerned shall not admit students to any Programme of a Technical Institution, which do not have requisite prior approval of the Council.

3.2 In view of the large number of vacant seats in various Programmes during the last few years and the likely future demand, the Council shall grant approval to the new/ existing Institutions taking into account the recommendations of the Committee set up by AICTE to provide the National Perspective Plan for the Technical Programmes.

4 **Generic Conditions for Approval**

4.1 a. The Applicants shall not name the Technical Institution in such a way that the abbreviated form of the name of the Technical Institution becomes IIM/ IIT/ IISc/ NIT/ AICTE/ UGC/ MHRD/ GoI. The Applicant shall also not use the word(s) Government/ India/ Indian/ National/ All India/ All India Council/ Commission, anywhere in the name of the Technical Institution and other names as prohibited under the Emblems and Names (Prevention of Improper Use), Act, 1950. Provided that the restrictions mentioned above shall not be applicable, if the Technical Institution is established by Government of India or its name is approved by the Government of India.

b. Applicants/ Institutions shall not use the names of the Existing Institutions within the State.

4.2 MHRD directives such as Scheme of "Sub-Mission on Polytechnics", to establish a Technical Institution in "Educationally Backward Districts/ Left Wing Extremism (LWE) affected" Districts, digital payment for all financial transactions, National Academic Depository (NAD), Study in India and any other scheme(s) shall be complied with, as specified in Approval Process Handbook.

4.3 AICTE does not recognize the Programme(s)/ Course(s) in Technical Education offered through distance mode except Management, MCA and Diploma/ Degree in Travel and Tourism Programmes, with the explicit approval of AICTE.

4.4 The Council shall not permit the Introduction of Part Time/ Second Shift Courses.

4.5 To maintain the quality of Education, 60% of the eligible Courses in any Technical Institution shall be accredited in the next 4 years time, else EoA shall not be issued by the Council.

4.6 For Institutions having Courses with meager admissions consistently, appropriate action as specified in the Approval Process Handbook shall be initiated with the approval of the Council.

4.7 A Company having any foreign equity directly or indirectly as shareholding shall not be permitted to apply for setting up a Technical Institution.

4.8 Supernumerary seats

- a. Fifteen percent (15%) supernumerary seats over and above the "Approved Intake" per Course shall be approved in AICTE approved Institutions and University Departments, for admitting students from Foreign Nationals/ Overseas Citizen of India (OCI)/ Persons of Indian Origin (PIO)/ Children of Indian Workers in the Gulf Countries. One third (1/3rd) of these 15% seats shall be reserved for the Children of Indian Workers in the Gulf Countries.

Any vacant seat in a given Course, out of 1/3rd seats reserved for Children of Indian Workers in the Gulf Countries shall be reverted to the seats of 2/3rd meant for OCI/ PIO/ Foreign Nationals and vice-versa. Further, any vacant seat in the "Foreign Nationals/ Overseas Citizen of India (OCI)/ Persons of Indian Origin (PIO)/ Children of Indian

Workers in Gulf Countries” after the last round of the admission of the concerned State Government/ UT may be filled with NRI seats, subject to the approval from AICTE for the NRI seats and fulfillment of requisite norms as specified in the Approval Process Handbook.

Beside this, any vacant seat in the “Approved Intake” after the last round of the admission of the concerned State Government/ UT, may be filled with NRI/ Foreign Nationals/ Overseas Citizen of India (OCI)/ Persons of Indian Origin (PIO)/ Children of Indian Workers in the Gulf Countries, subject to the approval from AICTE for the above seats and fulfilment of requisite norms as specified in the Approval Process Handbook.

- b. The Council shall permit the Introduction/ Continuation of NRI/ OCI/ PIO/ FN/ Children of Indian Workers in the Gulf Countries seats ONLY in the Regular Shift Courses.
- c. Mandatory provision of supernumerary seats under Tuition Fee Waiver Scheme in all the Courses and Programmes shall be applicable to all Technical Institutions as specified in the Approval Process Handbook.

4.9 Admission under Lateral Entry in Diploma/ Under Graduate Degree/ Post Graduate Course(s).

- a. Lateral Entry to Second Year Diploma Course(s) shall be permissible up to a maximum of 10% of the “Approved Intake” which shall be over and above, supernumerary to the “Approved Intake”, plus the unfilled vacancies of the First year as specified in the Approval Process Handbook.
- b. Lateral Entry to Second Year Degree Course(s) in Engineering and Technology/ Pharmacy/ MCA Course shall be permissible up to a maximum of 10% of the “Approved Intake” which shall be over and above, supernumerary to the “Approved Intake”, plus the unfilled vacancies of the First year as specified in the Approval Process Handbook.
- c. Any Foreign National who has obtained Diploma in a Foreign Institution (having an equivalency Certificate issued by the Association of Indian Universities) or Diploma in an Indian Institution shall also be eligible for Lateral Entry into the Second Year Degree Course(s). The Institutions having approval for the supernumerary seats in such Course(s) are ONLY eligible to admit the Foreign Nationals as per the norms, else the Institution shall apply for the same on AICTE Web-Portal. However, the total Foreign Nationals admitted under supernumerary seats and the Lateral Entry shall not exceed the 15% of the “Approved Intake” in an Academic year.
- d. **The Council shall not permit the Introduction or Continuation of Lateral Entry Separate Division in Second Year Engineering and Technology/ MCA Courses.**

4.10 Guidelines for the new/ existing Institutions

- a. ALL the Technical Institutions shall fulfill the relevant requisite norms as specified in the Approval Process Handbook.
- b. Documents showing ownership of Land/ Building as per the provisions of Section 8 of the Transfer of Property Act, 1882 or any other Law for the time being in force relating to transfer of property to or by Companies, Associations or bodies of individuals, in the name of the Applicant in the form of Registered Sale Deed/ Irrevocable Gift Deed (Registered)/ Irrevocable Government/ Private Lease Deed (Registered) (for a period of minimum 30 years with at least 25 years of live Lease at the time of submission of application).

Further to that, it shall be open for the Promoter Trust/ Society/ Company of the proposed Institution to mortgage the Land after the receipt of Letter of Approval, only for raising the resources for the purpose of development of the Technical Education Institution situated on that Land. It shall be open for the Promoter Trust/ Society/

Company of the existing Institution to run other Educational Courses/ Institutions (Technical/ Non-Technical) in the surplus Land arising out of the prevailing/ reduced norms of Land requirement. However, such surplus Land shall be used as per the Land Use Certificate given to the Trust/ Society/ Company by the concerned authority, subject to such Courses/ Institutions having their own facilities to conduct such Programmes without sharing the essential infrastructure facilities such as Class Room, Laboratory etc. with the already approved Technical Institution. However, common amenities such as Canteen, Auditorium, Playground, Parking, etc. may be shared, provided it caters to all the students of all the Programmes.

- c. The Promoter Trust/ Society/ Company of a new Technical Institution shall have to construct the required Built-up area for setting up of Institution, as mentioned in the Approval Process Handbook and amended from time to time.
- d. No NOC from Affiliating University/ Board/ State Government/ UT shall be required for the reduction in intake to Non-Zero intake/ closure of the Second Shift Courses.
- e. For Closure of PGCM/ PGDM Courses, NOC from Affiliating University/ Board/ State Government/ UT is not applicable.
- f. Institutions having an “Approved Intake” **less than a Division size** in any of the Regular/ First Shift Courses as prescribed by the Council may apply for intake of full Division size themselves and shall maintain Faculty: Student ratio accordingly, without NBA accreditation/ NOC from Affiliating University/ Board/ State Government/ UT, subject to “Zero Deficiency” in the Web-Portal. However, this is not applicable in case of Institutions under penal action.
- g. Institutions may apply for **reduction in intake** in any of the Regular/ First Shift Courses within a Division by themselves in the Web-Portal and shall maintain Faculty: Student ratio accordingly, without NOC from Affiliating University/ Board/ State Government/ UT, the restoration shall be permitted within a Division without NBA.
- h. Existing Institutions having total “Approved Intake” less than the “Maximum Intake Allowed”/ Institutions not eligible to apply for NBA accreditation, shall be permitted to increase (without NBA accreditation) upto the “Maximum Intake Allowed” in each Programme (considering all the specializations in MBA) as that of a new Technical Institution, as specified in the Approval Process Handbook, subject to “Zero Deficiency” based on Self-Disclosure on AICTE Web-Portal.

An Expert Visit Committee may be conducted, any time before the first batch of students has passed out, to verify the fulfillment of the norms as specified in the Approval Process Handbook.

- i. Well performing Institutions providing quality technical education through accreditation of Courses by NBA/ UGC approved autonomy, shall be duly recognized by AICTE and considered for grant of approvals for Extended EoA as specified in Approval Process Handbook. Institutions approved for extended EoA are waived from paying TER Charges for Extension of Approval (EoA) ONLY for the extended years. However, such Institutions are required to submit the application for EoA and duly fill all the data and maintain ALL the norms and standards as specified in Approval Process Handbook.
- j. The Institution shall be given an opportunity to comply the deficiencies, if any, before the Scrutiny/ Re-Scrutiny Committee, to fulfill the criteria of “Zero Deficiency” based on Self-Disclosure, for processing the application, as applicable.

4.11 Guidelines for the Universities

- a. Central, State and Private Universities may apply for approval by providing Infrastructure and other requirements as specified in the Approval Process Handbook. Institutions Deemed to be Universities shall seek prior approval of the Council under

Clause 1.2 of these Regulations.

The requirements, eligibility and procedure shall be as specified in Approval Process Handbook.

Further to that, the Institution Deemed to be Universities shall also have to fulfill the norms as per UGC Regulations.

- b. Institutions Deemed to be Universities offering Technical Course(s)/ Programme(s) shall not admit students without prior approval of the Council.
- c. Universities seeking approval for the first time from AICTE shall submit an application as a new Technical Institution for all their existing Technical Programme(s) and Course(s). Institution Deemed to be University having multiple Campuses/ Off Campuses/ Constituent Colleges shall apply separately for approval.

5

Submission of the applications

5.1 Application for grant of approval under these Regulations 1.2, a, b, c, d, e, l, m, n, p, u, v, w and x shall be made by any of the following

- a. The Chairman/ Secretary in case of the Trust/ Society/ Company;
- b. An Officer authorized by the concerned Central/ State Government/ UT in case of Central or State Government/ UT Administration or a Society/ Trust registered with them; and
- c. An Officer authorized by the Trust/ Society/ Company/ Central/ State Government/ UT under Public Private Partnership or Build Operate Transfer (BOT) mode made by them, as the case may be.

5.2 Application for grant of approval under these Regulations 1.2. f, g, h, i, j, k, o, q, r, s, t and y shall be made by any of the following

Principal/ Director of the Technical Institution or Head of the Institution or an Officer of the Institution duly authorized by the Promoter of such Institution or Chairman/ Secretary in case of the Trust/ Society/ Company or Vice Chancellor/ Registrar of Institution Deemed to be University.

5.3 The Council shall publish, from time to time, Approval Process Handbook detailing the documents to be attached to the application, the Technical Education Regulatory (TER) Charges to be remitted, the norms and standards, requirements and the procedure by which the applications are processed for grant of approval of the new/ existing Institutions.

5.4 a. The Applicant for setting up a new Institution shall obtain a unique USER ID following the procedure specified in the Approval Process Handbook.

The Applicants/ existing Institutions shall be required to submit online application for the cases listed in Clauses 1.2 of these Regulations using their unique USER ID allotted to them by remitting the prescribed TER Charges as specified in Approval Process Handbook through AICTE's payment gateway on the Web-Portal, failing which the application shall not be considered.

- b. Only those applications submitted within the cut-off date, including payment shall be considered for processing.
- c. The Web-Portal permits the generation of Deficiency Report for the applications.
- d. The Applicants shall edit the data till the final submission of the application on the Web-Portal.

After pressing the "submit" tab, the data shall not be allowed for any further editing till the processing of the application is completed.

- e. If an Applicant/ Institution has wrongly submitted an application, the same shall be processed as per the procedure mentioned in the Approval Process Handbook.
- f. Applicants have to upload documents in the Web-Portal/ submit to the Scrutiny/ Re-Scrutiny Committee, as applicable, as specified in the Approval Process Handbook.
- g. An Affidavit, in the Format as specified in the Approval Process Handbook, on a Non-Judicial Stamp Paper of ₹ 100/- duly sworn before a First Class Magistrate or Notary or an Oath Commissioner, inter alia, stating that the information given in the application is true and that if it is found at any time that any part of the information has been suppressed and/or misrepresented and/or the information given in the application is false, the Council shall be free to take action including Withdrawal of Approval/ not considering for grant of approval and/ or any other legal action as it may deem fit shall be submitted/ uploaded by the Applicants.
- h. In case of rejection of an application, the applicable TER Charges shall be refunded as specified in the Approval Process Handbook.

6 Procedure for the processing of the applications

6.1 The applications received shall be processed as per the norms and procedures prescribed in the Approval Process Handbook as notified by the Council from time to time in addition to the existing Central, State and Local Laws.

6.2 For setting up a new Institution

- a. The State Government/ UT and the Affiliating University/ Board shall forward their views on the applications received under Clause 1.2. a of these Regulations to the concerned Regional Office, not later than one week from the last date of submission of application as notified.

In the absence of the receipt of views from the State Government/ UT/ Affiliating University/ Board on the application, the Council shall proceed for further processing.

- b. The applications received under Clause 1.2. a of these Regulations, shall be processed by a Scrutiny Committee/ Re-Scrutiny Committee duly formed by the Regional Officer as per the composition as mentioned in Approval Process Hand Book for issue of Letter of Intent (LoI) and the Applicant shall present **ALL** the original documents along with self-attested copies to the Committee. Applicants are advised to adhere to Scrutiny schedule and not to remain absent.

The Applicant, if interested to start the Institution in the current Academic Year itself, shall submit a Resolution to that effect to Scrutiny/Re-Scrutiny Committee.

- c. The recommendations of the Scrutiny/ Re-Scrutiny Committee shall be placed before the Regional Committee for its recommendation and further placed before the Executive Committee for approval or otherwise.
- d. In case of new Technical Institutions, the Council if deems fit shall grant approval to issue the Letter of Intent (LoI) for the given Academic Year, the same shall be valid for three Academic Years.

Within the validity period, after the establishment of Infrastructure facilities as per the requirements, the Applicant shall apply on AICTE Web-Portal for the Letter of Approval anytime in the year. In case of the Applicant expressing interest in getting Letter of Approval (LoA) in the current Academic Year itself, the same shall be processed further by an Expert Visit Committee.

Expert Visit Committee formed by the Regional Officer as per the composition as mentioned in the Approval Process Hand Book shall verify physically the availability of infrastructural facilities of the Institution.

On expiry of the validity, the Letter of Intent (LoI) issued stands cancelled and the Applicant shall make a fresh application for the issuance of Letter of Intent (LoI).

- e. The recommendations of the Expert Visit Committee shall be placed before the Regional Committee for its recommendation and further placed before the Executive Committee for approval or otherwise.
- f. Regional Officer concerned while forwarding the recommendations of the Regional Committee to Approval Bureau of AICTE, for placing before the Executive Committee, shall verify that the processes and parameters prescribed under these Regulations and Approval Process Handbook are followed by the Scrutiny Committee, Re-Scrutiny Committee (if applicable), Expert Visit Committee and the Regional Committee.

The Approval Bureau of AICTE shall also verify that the processes and parameters prescribed under these Regulations and Approval Process Handbook are followed by the Scrutiny Committee, Re-Scrutiny Committee, Expert Visit Committee and the Regional Committee.

- g. The decision of the Executive Committee shall be uploaded on the Web-Portal in the form of a Letter of Intent (LoI)/ Letter of Approval (LoA) or Letter of Rejection (LoR) with the specific reasons for rejection of the application.
- h. Applicants for starting new Technical Institutions (except Government/ Government aided Institutions) whose applications are recommended for Letter of Approval (LoA) by the Executive Committee shall be informed for depositing the Security Deposit.

The existing Institutions approved by the other Regulatory Bodies, applying for the first time to the Council for approval and are in existence for more than 10 years are exempted from the payment of Security Deposit.

The Applicant shall submit the payment proof of the Security Deposit along with an Affidavit within 7 days from the date of intimation to the concerned Regional Office, else a penalty of 10% of the value of the Security Deposit shall be imposed upto 15th May of the Calendar Year, beyond which the approval shall be withdrawn.

- i. The online Security Deposit amount deposited by the Technical Institution with AICTE shall be permitted to be withdrawn after a term of ten years or in case of closure of Course/ Institution, subject to the submission of relevant documents. The interest accrued on the Security Deposit shall be credited to the Council and shall be utilized by AICTE for Quality Improvement Programme for Faculty and giving scholarships to students. However, the term of the Security Deposit could be extended for a further period as may be decided on case to case basis and/or forfeited in case of any violation of norms, conditions and requirements and/or Non-performance by the Institution and/or complaints against the Institution.
- j. **Validity of the Letter of Approval for the new Technical Institutions, if issued, shall be for two Academic Years from the date of issue of Letter of Approval, only for obtaining affiliation from the respective University/ Board and fulfilling State Government/ UT requirements for admission in the current Academic Year.**

ALL the Applicants issued LoA for starting the new Technical Institutions shall apply on AICTE Web-Portal for Extension of Approval as specified in the Approval Process Handbook from the **next Academic Year onwards, irrespective of the admission of the students**. However, the Institutions that fail to admit the students in the current Academic Year due to Non-Affiliation by the University/ Board or Non-fulfillment of State Government/ UT requirements are exempted from the payment of TER Charges.

On expiry of the validity, the LoA issued stands cancelled and the Applicant shall make a fresh application for the issuance of Letter of Intent.

- k. New Institutions granted Letter of Approval and existing Institutions granted approval for introduction of new Course(s), Division(s), Programme(s), variation in intake capacity shall comply with appointment of Faculty and Principal/ Director as the case may be, as per the policy of the Council.

Institutions other than Minority Institutions shall appoint Faculty/ Principal/ Director and other technical supporting staff and administrative staff strictly in accordance with the methods and procedures of the concerned Affiliating University/ Board particularly in case of selection procedures and selection Committees.

The information about these appointments of staff in the prescribed format shall be uploaded on the Web-Portal of AICTE.

1. An Expert Visit Committee may be conducted any time before the first batch of students have passed out, to verify the fulfillment of the norms as specified in the Approval Process Handbook.

6.3

For the existing Institutions

- a. For applications submitted under Clause 1.2. f and s of these Regulations, the processing is based on self-disclosure. The Council shall grant the desired approval, only after confirming that the Applicant had fulfilled all the norms and standards prescribed in Approval Process Handbook. The Council reserves the right to inspect and if any of the information submitted is found to be false, shall initiate penal action as specified in the Approval Process Handbook.
- b. The applications submitted under Clause 1.2. h, i, j, m, n, p, q, t, u, v, w and y of these Regulations shall be processed by a Scrutiny/ Re-Scrutiny Committee based on the documents submitted by the Applicant.

The applications submitted under Clause 1.2. g, k, o and r of these Regulations shall be processed by an Expert Visit Committee to verify the availability of the facilities in the Applicant Institutions.

The applications submitted under Clause 1.2. b, c, d, e, l and x of these Regulations shall be processed by a Scrutiny/ Re-Scrutiny Committee based on the documents submitted by the Applicant. If the documents are found in order, the same shall be processed further by an Expert Visit Committee to verify the availability of the facilities in the Applicant Institutions.

- c. For Closure of Programme(s)/ Course(s), the Applicant shall submit the relevant NOCs at least before 31st December of the Calendar Year.

Applications of the existing Institutions who have applied for the Closure of Institution, and if such applications are not approved by the Council due to certain deficiencies, the Institution shall be given Extension of Approval (EoA) with ZERO Intake for that year. Such Institutions shall submit all relevant documents after all the students have passed out or redistributed to nearby AICTE approved Institutions and seek official closure of the Institution.

The application for the Closure of Institution shall be valid for the duration of the respective programme offered by the Institution within which the Institution should submit the required mandatory documents. Else, AICTE may close the Institution with the intimation to the Affiliating University/ Board and the State Government/ Union Territory and shall issue a Public Notice regarding the same.

- d. Change in name of the Trust/ Society/ Company including merger of two or more Trust/ Society/ Company having the same common objects of education etc. shall be permitted as per the respective Laws laid down in the Acts.

A Trust/ Society may create a new Company to hold their assets, and once the transfer of assets are complete, the Trust/ Society may be dissolved and the ownership may be transferred to the Company. Such viability shall vary depending on the jurisdiction and context.

- e. In case of the existing Institutions, if an EVC was conducted or Show Cause notice was issued, the same shall be placed before the Standing Hearing Committee (SHC) as applicable and processed as per the procedure specified in Approval Process Handbook.

- If the Institution is aggrieved by the decision of the Executive Committee, the Institution shall have the right to appeal once to the Council, as per the procedure specified in Approval Process Handbook.
- 6.4 The uploading of the Scrutiny/ Re-Scrutiny Committee/ Expert Visit Committee Report shall be done by the concerned Regional Office.
- 6.5 If any member of the Scrutiny/ Re-Scrutiny/ Expert Visit Committee is unable to attend or refuses or incapacitated to take part in the Committee, then Regional Officer with prior or post-facto approval of the Member Secretary, AICTE shall opt to choose another expert from the approved panel of the experts manually.
- 6.6 Institution Deemed to be University
- a. The Council shall approve the Technical Programme(s)/ Course(s) offered by the Universities including Institutions Deemed to be Universities falling under Category I and II as notified by UGC. Such Institutions Deemed to be Universities shall have to adhere to the norms and standards as specified by AICTE from time to time and an Affidavit to this effect shall be submitted to AICTE and University Grants Commission.
- The application submitted by an Institution Deemed to be University falling under Category III as notified by UGC shall be processed as per the procedure mentioned in Clause 6.2/ 6.3 (as applicable) of these Regulations.
- b. State University/ Central University/ Institution Deemed to be University (Government)/ are not required to pay the Security Deposit.
- Institution Deemed to be University (Private)/ Private Universities which were in existence for more than 10 years with UGC are exempted from the payment of Security Deposit.
- Universities which were granted approval from AICTE earlier as a Technical Institution and created Security Deposit and got released after the maturity period are not required to pay the Security Deposit, else the University shall pay the Security Deposit for the remaining period of 10 years, as applicable.
- 6.7 Vocational Education Courses
- The applications for the introduction of Vocational Education Courses shall be processed as per the procedure prescribed in the Approval Process Handbook and all other norms and standards as notified in NSQF Regulations and SAMVAY from time to time.
- 6.8 The applications under 6.3 of these Regulations shall be processed as per the procedure specified in Approval Process Handbook. The consolidated list of all the Institutions with the “Approved Intake” shall be placed by the Approval Bureau before the Executive Committee/ Council for the grant of Extension of Approval as applicable for the Technical Institutions to continue to conduct Technical Programme(s) and Course(s). The decisions taken by the Executive Committee are ratified by the Council.
- The same shall be notified on the Web-Portal. Further the Institution shall download the Extension of approval letter along with “Approved Intake” through the Institution login.
- All Orders shall be uploaded by 30th April of the Calendar Year and the detailed speaking orders (in case of reduction in intake, No Admission, etc.) shall be uploaded in the Web-Portal not later than 15th May of the Calendar Year.
- 6.9 **The Council shall not grant any conditional approval to any Institution.**
- 6.10 Directorate of Technical Education/ State Government/ UT/ Affiliating University/ Board shall download the intakes for various Courses for the Institutions under their jurisdiction, from Web-Portal through their login.
- 6.11 Student’s eligibility for admission to all the Programmes shall be as specified in the

Approval Process Handbook and as per the reservation policy of the Central Government/ respective State Government/ UT as the case may be.

Provided that the Second round of counselling/ admission for allotment of seats shall be completed on or before 10th July of the Calendar Year. Last date upto which students can be admitted against vacancies arising due to any reason (no student should be admitted to any Institution after the last date under any quota) shall be 15th August of the Calendar Year.

- 6.12 Any Institution offering Technical Programme(s)/ Course(s) without approval of the Council shall be termed as unapproved Institution.

7 **Appeal before Standing Appellate Committee**

- 7.1 An Institution/ Applicant, if aggrieved by the decision of Executive Committee shall have the right to appeal once to the Council, **within 7 days from the date of uploading of LoR**. All the appeals submitted by the Applicants/ Institutions shall be placed before the Standing Appellate Committee. The final decision of the Council shall be uploaded on or before 30th April of the Calendar Year.

- 7.2 An Officer of the Council shall place the records before the Standing Appellate Committee. Two representatives of the Institution shall be invited to present their case along with the compliance and supporting documents before the Standing Appellate Committee.

- 7.3 The recommendations of Standing Appellate Committee shall be placed before the Council, whose decision shall be final.

- 7.4 The decision of the Council about the grant of approval or otherwise shall be communicated to the Applicant through Web-Portal on or before 30th April of Calendar Year, with the reasons for rejection of the application.

8 **Other Requirements to be fulfilled**

- 8.1 All Technical Institutions shall upload the information in respect of their Director/ Principal, Faculty members and students admitted in each Course in the format available on the Web-Portal of the Council and update the information from time to time. Scanned copies of PAN Card, Adhaar Card (if available) and Form 16 of all the faculty members shall also be uploaded on the Web-Portal.

- 8.2 A Faculty/ Employee working on Full Time basis in an Institution/ Organization and pursuing/ pursued any Full Time Course for the same duration as that of Regular Shift shall be considered as invalid for the purpose of employment/ higher studies. However, the Faculty/ Employee shall pursue a Course as Part Time for longer duration, in the same City.

- 8.3 The Institutions shall adopt the minimum standards and qualifications as specified in Approval Process Handbook. However, Institutions Deemed to be Universities/ Institutions having Accreditation/ Autonomy status shall surpass the minimum standard and qualifications specified.

- 8.4 The Applicants are expected to provide the Council true and complete information and documents required for various purposes. If the information given and/or the documents provided to the Council are found to be false, incomplete and/or the Applicants have failed to disclose factual information and/or suppressed/ misrepresented the information, the Council shall initiate action including Withdrawal of Approval/ any other action as deemed necessary against the Applicants.

If any document submitted is found to be fraudulent, criminal case shall be filed against the Principal of the Institution and the Chairman/ Secretary of the Trust/ Society/ Company.

- 8.5 AICTE shall also conduct inspections from time to time with or without notifying the

dates, in such cases where specific complaints of falsification of documents, misrepresentation, violation of norms of standards, malpractices, etc. are received.

Institutions at random would be subjected to surprise inspection for the fulfillment of the norms of Approval Process Handbook and appropriate action including Withdrawal of Approval and any other action deemed necessary, shall be initiated against the Applicants, as the case may be.

8.6 In the event of denial of Extension of Approval for the existing Courses or grant of Extension of Approval as per the Clauses 8.4 and 8.5 of these Regulations, such Institutions shall not be considered for Extension of Approval till such proceedings are settled and the Promoters/ Institutions are cleared of the charges of violations.

8.7 For the Institutions, whose Programmes/ Courses have been discontinued by the Council or approval is withdrawn/ suspended, the concerned State Government/ UT shall redistribute the students to other nearby AICTE approved Technical Institutions affiliated to the University/ Board and the Council shall allow supernumerary seats in such Institutions to accommodate the redistributed students appropriately till they complete the Programmes/ Courses.

9 Action in case of violation of Regulations

9.1 An Institution running any technical Programme in violation of these Regulations shall be liable for initiation of legal action including Withdrawal of Approval, if any, and/or legal criminal action by the Council against the Institution and/or its Promoter Trust/ Society/ Company and individuals associated, as the case may be.

9.2 If any Technical Institution contravenes any of the provisions of relevant Regulations, the Council after making appropriate inquiry through Standing Hearing Committee (SHC) and after providing an opportunity of being heard through the Standing Appellate Committee (SAC) shall withdraw the approval granted. In case of Withdrawal of Approval to the Institution, the Technical Institution/ Trust/ Society/ Company shall apply afresh for approval after completion of two Academic Years for setting up a new Institution as per the procedure defined in the Approval Process Handbook.

9.3 In case of any litigation pertaining to the penal action initiated by the Council for an Institution, for the contravention of any of the relevant Regulations, such Institution shall have to apply as specified in the Approval Process Handbook, as applicable in the next Academic Year in AICTE Web-Portal, in the absence of any specific court order to the contrary.

9.4 Non-Submission/ Submission of incomplete application for Extension of Approval
Non-submission/ submission of incomplete/ submission of false information, while applying for Extension of Approval shall invite appropriate penal action against the Institution. The Institution shall be liable to any one or more of the following punitive actions by the Council:

- Suspension of approval for NRI and supernumerary seats for one Academic Year
- Reduction in “Approved Intake”
- No admission in one/ more Course(s) for one Academic Year
- Withdrawal of approval for Programme(s)/ Course(s)
- Withdrawal of approval of the Institution

9.5 Non-Fulfillment of the requirement of qualified Principal/ Director

An Institution not having qualified Principal/ Director for a period, more than 12 months, shall be liable to any one or more of the following punitive actions by the

Council till the regular Principal/ Director is appointed:

- Reduction in “Approved Intake”
- No admission for one Academic Year

9.6 Non-Fulfillment of Faculty: Student ratio, not adhering to the pay scales and/or qualifications prescribed for Faculty

Institutions not adhering to the pay scales, or qualifications prescribed for Faculty members for more than 12 months and not maintaining prescribed Faculty: Student ratio shall be liable to any one or more of the following punitive actions by the Council:

- Suspension of approval for NRI and supernumerary seats for one Academic Year
- Reduction in “Approved Intake”
- No admission in respective Course(s) for one Academic Year
- Withdrawal of approval in the respective Course(s)
- Withdrawal of approval of the Institution

The Council may initiate penal action for not regularizing and ensuring the timely and full payment of the salary of the Staffs through Electronic Clearing Service (ECS) by nationalized banks.

9.7 Non-Fulfillment in Computer, Software, Internet, Printers, Laboratory Equipment, Books, Journals and Library facilities requirements, etc.

Institutions not maintaining prescribed requirements of Computer, Software, Internet, Printers, Laboratory Equipment, Books, Journals and Library facilities, etc. shall be liable to any one or more of the following punitive actions by the Council:

- Suspension of approval for NRI and supernumerary seats for one Academic Year
- Reduction in “Approved Intake”
- No admission in one/ more Course(s) for one Academic Year
- Withdrawal of approval for Programme(s)/ Course(s)
- Withdrawal of approval of the Institution

9.8 Non-Fulfillment of Essential requirements for Technical Institution

Institutions not maintaining essential requirements as per the Approval Process Handbook shall be liable to any one or more of the following punitive actions by the Council:

- Suspension of approval for NRI and supernumerary seats for one Academic Year
- Reduction in “Approved Intake”
- No admission in one/ more Course(s) for one Academic Year

9.9 Non-Fulfillment of Location/ Built-up Area/ Land at the time of year of establishment or current Academic Year

Institutions working in temporary location or at location not approved by the Council and Institutions not fulfilling prescribed Built-up area requirements shall be liable to any one or more of the following punitive actions by the Council:

- Suspension of approval for NRI and supernumerary seats for one Academic Year

- Reduction in “Approved Intake”
 - No admission in one/ more Course(s) for one Academic Year
 - Withdrawal of approval for Programme(s)/ Course(s)
 - Withdrawal of approval of the Institution
- 9.10 Non-Adhering to the timing/ Faculty requirement for the Second Shift
- The Second Shift shall have to be run as per the declared timings from 12 Noon to 7 pm with 50% additional Faculty, which would be subject to surprise inspection leading to Closure of Course in case timings are not being followed/ with insufficient Faculty.
- 9.11 Excess admission
- Excess admission over the “Approved Intake” shall not be allowed under any circumstances. In case any excess admission is reported to/ noted by the Council, appropriate penal action shall be initiated against the Institution. The Institution shall be liable to any one more of the following punitive actions by the Council:
- Five times the total fees collected per student shall be levied against each excess admission
 - Suspension of approval for NRI and supernumerary seats, if any for one Academic Year
 - Reduction in “Approved Intake”
 - No admission in one/ more Course(s) for one Academic Year
 - Withdrawal of approval for Programme(s)/ Course(s)
 - Withdrawal of approval of the Institution
- 9.12 Charging excess fee than the fee prescribed by the concerned State/ Fee Regulatory Committee
- The Institutions shall have to announce all fees such as tuition fee, examination fee etc. on their Web Site transparently and adhere to the same strictly. No Technical Institution shall collect any other fee (Payment/ Amount) from the students, in addition to the fee fixed by the State/ Fee Regulatory Committee. If any Institution does not follow the said guidelines, the Institution shall be liable to any one or more of the following punitive actions by the Council:
- Twice the total fee collected per student and the excess fee collected shall be refunded to the student
 - Suspension of approval for NRI and supernumerary seats, if any for one Academic Year
 - Reduction in “Approved Intake”
 - No admission in one/ more Course(s) for one Academic Year
 - Withdrawal of approval for Programme(s)/ Course(s)
 - Withdrawal of approval of the Institution
- 9.13 Institutions not allowing Expert Visit Committee for physical verification of Infrastructural facilities/ Institutions not having Occupancy Certificate/ Completion Certificate/ Building License/ Form D/ Barrier free environment/ PGDM Institutions not having NAD or not uploading student enrollment data to the Council/ Institutions demanding for the Original Degree Certificates from the Faculty members at the time of joining the Institution

Institutions not allowing Expert Visit Committee for physical verification of Infrastructural facilities/ Institutions not having Occupancy Certificate/ Completion Certificate/ Building License/ Form D/ Barrier free environment/ PGDM Institutions not having NAD or not uploading student enrollment data in the AICTE Web-Portal/ Institutions demanding for the Original Degree Certificates from the Faculty members at the time of joining the Institution shall be liable for any one or more of the following punitive actions by the Council:

- No admission for one Academic Year
- Withdrawal of approval of the Institution

9.14 Violation of norms in case of Collaboration and Twinning Programmes

- a. If a Foreign University/ Institution fails to comply with any of the conditions as contained in the Approval Process Handbook, the Council after giving reasonable opportunity of being heard through Standing Appellate Committee shall withdraw the approval of the Twinning Programme granted to such University/ Institution to offer their Diploma/ Post Diploma Certificate/ Under Graduate Degree/ Post Graduate Diploma/ Post Graduate Degree in India and forbid such Foreign University/ Institution to either open Centres or enter into any Collaborative arrangement with any University/ Institution in India.
- b. The Council shall also inform the concerned agencies including Ministry of External Affairs, Ministry of Home Affairs, RBI of such decisions and advise these agencies to take any or all of the following measures:
 - Refusal/ withdrawal for grant of visa to employees/ teachers of the said Foreign University/ Institution.
 - Stop repatriation of funds from India to home Country.
 - Informing the Public about the withdrawal of approval of the Twinning Programme with Foreign University/ Institution and the consequence thereof.
- c. In case, it comes to the notice of the Council, that a Foreign University is running Diploma/ Post Diploma Certificate/ Under Graduate Degree/ Post Graduate Diploma/ Post Graduate Degree Level Programme in Technical Education in India directly or in Collaboration with an Indian Partner without obtaining approval, the Council shall initiate immediate action under the Indian Penal Code for Criminal breach of Trust, misconduct, fraud, cheating, etc.
- d. Once the approval of the Twinning Programme is withdrawn, the Council shall make an attempt in co-ordination with concerned State Government/ UT to re-allocate the students enrolled in such Programme to other approved Institutions of the Council. The Institution shall have to return the entire fee collected from such students to the Institutions in which the students are accommodated.
- e. Such Foreign University/ Institution shall not be allowed to collaborate with any other Centre/ Institution or enter into a Collaborative arrangement in India for at least next 3 years.

9.15 Refund cases

- a. In the event of a student withdrawing before the start of the Course, the entire fee collected from the student, after a deduction of the processing fee of not more than ₹ 1000/- (Rupees One Thousand only) shall be refunded by the Institution. It would not be permissible for Institutions to retain the School/ Institution Leaving Certificates in original.
- b. In case, if a student leaves after joining the Course and if the vacated seat is consequently filled by another student by the last date of admission, the Institution must refund the fee collected after a deduction of the processing fee of not more than ₹1000/-

(Rupees One Thousand only) and proportionate deductions of monthly fees and hostel rent, where applicable.

- c. The last date for withdrawal of PGDM admission for the purpose of refund of fees shall be 30th June of every year.
- d. In case the vacated seat is not filled, the Institution should refund the Security Deposit and return the original documents.
- e. The Institution should not demand fee for the subsequent years from the students cancelling their admission at any point of time. Fee refund along with the return of Certificates should be completed within 7 days.
- f. Institutions not following guidelines issued by the Council regarding refund of fee for cancellation of admission or delaying refunds shall be liable to any one or more of the following punitive actions by the Council:
 - Fine for Non-compliance of refund rules of the fee levied against each case shall be five times the total fee collected per student
 - Suspension of approval for NRI and supernumerary seats, if any, for one Academic Year
 - Reduction in “Approved Intake”
 - No admission in one/ more Course(s) for one Academic Year
 - Withdrawal of approval for Programme(s)/ Course(s)

9.16 In case of Institutions where FDRs are encashed before the date of maturity or not depositing the required Security Deposit at the time of LoA, a penalty of 10% of the value of the FDR shall be imposed. However, Institutions that had not created FDR/created FDR for lesser duration/ lesser amount than prescribed at the time of LoA have to create the same accordingly as specified in Approval Process Handbook.

9.17 Penalty amount shall be paid online to the Council as per the instructions.

9.18 If any of the information mentioned in the Affidavit is proved as false, legal action including penal action shall be initiated on the deponent.

9.19 Procedure for restoration against punitive action except in case of Withdrawal of Approval

Institutions shall have to make an application for restoration of intake and the same shall be processed as specified in the Approval Process Handbook.

10 Release of Security Deposit

The Trust/ Society/ Company shall apply online and upload/ submit the relevant documents in AICTE Web-Portal for the release of the Security Deposit and the same shall be processed as per the procedure specified in Approval Process Handbook.

11 Complaint Cases

In case of receipt of any complaint(s) about an Institution, the same shall be processed by Public Grievance Redressal Cell (PGRC), AICTE.

The complaint shall be placed before a Standing Complaint Scrutiny Committee (SCSC) and the Complainant may be called (at his/ her own cost), if necessary. Based on the recommendation of SCSC, a warning or Show Cause Notice may be issued to the Institution or EVC may be conducted and processed further as per 6.3.e of these Regulations. If necessary, the complainant may be called to appear before Standing Hearing Committee at his/ her own cost.

As per CVC guidelines Anonymous/ Pseudonymous complaints shall not be processed.

- 12 Implementation of punitive action**
Under extraordinary circumstances, if Punitive action (except fine) is approved by the Council beyond 30th April of the Calendar year, the same shall be implemented for the next Academic Year only.
- 13 Power delegated to Chairman of AICTE**
Council has delegated the power to the Chairman of AICTE for taking decision on urgent matters that needs to be communicated to the Institutions in between period of two Executive Committee/ Council meetings. However, such cases shall be placed before the next Executive Committee/ Council for ratification.
- 14 Charges for conducting an additional Scrutiny/ Expert Visit Committee**
In extraordinary circumstances, if an additional Scrutiny/ Expert Visit Committee is to be conducted **inclusive of the Court directions to any type of Institutions**, the Applicant has to pay the fee as specified in the Approval Process Handbook.
- 15 Time Limit for the grant of LoA/ EoA**
LoA/ EoA shall not be granted after 30th April of every Calendar Year in view of the order dated 13.12.2012 passed by the Hon'ble Supreme Court of India in CA no.9048/2012 titled as Parsvanath Charitable Trust and others Vs AICTE and Ors.
In case, the deficiencies are complied with subsequently during the Academic Year, the approval shall be granted under extraordinary circumstances, for the next Academic Year.
- 16 Social responsibility**
As a part of discharging social responsibilities, all Technical Institutions approved by the Council are expected to conduct National Skill Qualification Framework (NSQF) complied skill development Courses to give training to a minimum of 100 students per year. These Programmes shall be based on the needs of the local community where the Institution is located.
- 17 Conduct of any other Skill Development Courses**
The Institutions may conduct Skill Development Courses of any other Regulatory Body by using existing facilities, or by creating additional facilities as per the provisions laid down in the norms and standards of the respective Regulatory Bodies without affecting the quality of education prescribed by both the Regulatory Bodies after taking NOC from the Council. In such cases, a Scrutiny Committee shall be conducted for the issue of NOC.
- 18 Interpretation**
Any question arising out of the interpretation of these Regulations shall be decided by the Council and the decision of the Council shall be binding and final.
- 19 Power to relax**
The Council shall in exceptional cases, for removal of any hardship or in the national interest or such other reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Regulations in respect of any class or category of Institutions.

PROF. ALOK PRAKASH MITTAL, Member Secy.

[ADV.T.-III/4/Exty./478/18]